0k"kZ % 43(vad % 03 (ekp% 2021(eY; % nl #i,

सीटू मजदूर

उत्तराखंड में हिमस्खलन आपदा

(रिपोर्ट पृ. 8)

आपदा स्थल पर सीटू यूनियन

आपदा स्थल पर प्रतिनिधिमंडल

मजदूरों के साथ प्रतिनिधिमंडल

हरियाणा में किसान आंदोलन के साथ सीटू

(रिपोर्ट पृ. 23) (फोटोः सीटू हरियाणा)

सम्पादकीय

सीटू मजदूर
सीआईटीयू का मुखपत्र
मार्च 2021

सम्पादक मण्डल
सम्पादक
के. हेमलता
कार्यकारी सम्पादक
जे.एस. मजुमदार
सदस्य
एम.एल. मलकोटिया,
कश्मीर सिंह ठाकुर,
एच.एस. राजपूत,
उषा रानी

अंदर के पृष्ठों पर

पुलिसिया राज्य	4
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 – हेमलता	5
हिमालयी आपदा	8
श्रम संहिताओं का कच्चा चिट्ठा – आर. करुणमलैयन	10
उद्योग एवं क्षेत्र	15
राज्यों से	17
संसद में	20
मजदूर – किसान एकता	22
ऐतिहासिक किसान आंदोलन के साथ हरियाणा में सीटू – जय भगवान	23
किसान–प्रदर्शनकारियों के साथ शाहजहाँपुर बॉर्डर पर – सयांती सेनगुप्ता	24

भारत की संघर्षरत महिलाऐं

सीटू मजदूर के इस अंक में हम अपना ध्यान महिलाओं पर केन्द्रित कर रहे हैं जो मजदूरों और किसानों के तौर पर देश के औद्योगिक एवं कृषि उत्पादन तथा सेवाओं और देश की अर्थव्यवस्था एवं जीडीपी में योगदान दे रही हैं; उनमें से बड़ी संख्या असंगठित क्षेत्रों में जैसे कि निर्माण, ईंट भट्टों, लोडिंग–अनलोडिंग, मनरेगा, गृह आधारित उद्योगों, प्रवासियों, योजना मजदूरों आदि के रूप में, कार्यरत हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश अभी तक भी देश की ट्रेड यूनियनों और संगठित किसानों के दायरे बाहर ही हैं।

फिर भी, हम दिल्ली की सीमाओं पर और पूरे देश में चल रहे किसानों के संघर्ष में महिलाओं की स्वतःस्फूर्त भागीदारी देख रहे हैं और मजदूर उनसे जुड़ रहे हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में 6 फरवरी को हुए अभूतपूर्व रेल रोको आन्दोलन में महिलाओं की शानदार भागीदारी को विस्मय के साथ मुख्यधारा के प्रिंट मीडिया ने भी नोट किया है।

ये आन्दोलन जातिगत बाधा से परे हो गए हैं, जो कि भारतीय अर्ध–सामंती पितृसत्तात्मक समाज और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन एवं फासीवादी विचारधारा से साम्प्रदायिक विभाजन से विरासत में मिली है; इन दोनों को सत्तारूढ़ सत्ता द्वारा दलितों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ते अत्याचार और अंतर–विवाह को रोकने के लिए सांप्रदायिक कानून लागू करने के द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है।

ये विपरीत घटनाक्रम साथ–साथ हो रहे हैं – एक एकीकरण और उत्पीड़न के खिलाफ आन्दोलन है; और एक दूसरा शासकों द्वारा विभाजन और दमन के लिए है।

हालांकि, ये सभी आन्दोलन जाति और साम्प्रदायिक बाधाओं को अपने आप से ही नहीं तोड़ सकेंगे। अब तक के आंदोलनों के स्वतःस्फूर्त विस्फोट के साथ लंबे समय से खींचे रहे गए आन्दोलन में सामाजिक सुधार के वास्ते सचेत वैचारिक प्रयासों की आवश्यकता है। केवल सचेतन संगठित मजदूर वर्ग ही इस जिम्मेदारी को निभा सकता है। इसके लिए सीटू को जमीनी स्तर पर भूमिका निभानी होगी।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 की पूर्व संध्या पर, हम सीटू मजदूर के इस अंक को भारत की इन कामकाजी महिलाओं को समर्पित करते हैं।

पुलिसिया राज्य

सीटू नेता पर सरकार ने लगाया गुंडा एक्ट

11 फरवरी को सीटू की बनारस जिला कमेटी ने एक बयान में सीटू बनारस जिला कमेटी के अध्यक्ष शिवनाथ यादव पर गुंडा एक्ट लगाने के लिए उत्तर प्रदेश की भाजपानीत योगी सरकार के प्रशासन की कड़ी निंदा की। पहले, एआईकेएस के जिला सचिव रामजी सिंह, बनारस कपड़ा उद्योग मजदूरों के नेता मोबिन अहमद और अन्य को ऐसे ही नोटिस भेजे गये थे।

सीटू की बनारस जिला कमेटी ने शिवनाथ यादव और अन्य के खिलाफ दर्ज मामलों को वापिस लेने की माँग की है।

सीटू के राष्ट्रीय महासचिव तपन सेन, पूर्व सासंद, ने भी शिवनाथ यादव और अन्य नेताओं व कार्यकर्ताओं के खिलाफ गुंडा एक्ट के इस्तेमाल के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की निंदा करते हुए बयान जारी किया। तानाशाह योगी सरकार राज्य, विशेषकर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस, में सभी जनवादी आंदोलनों, नागरिक स्वतंत्रता और जनता के अधिकारों के दमन के लिए पुलिस बल का अंधाधुंध उपयोग कर रही है।

योगी सरकार का किसानों को जुर्माने का नोटिस

उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार उन किसानों को जिनके पास ट्रैक्टर है व्यक्तिगत बॉन्ड और भारी राशि में जमानत देने के लिए नोटिस जारी कर रही है ताकि उन्हें चल रहे किसान आंदोलन में शामिल होने से रोका जा सके। अकेले सीतापुर के 162 किसानों में से हरेक को 10–10 लाख रुपये तक की बहुत ज्यादा राशि के नोटिस दिए गए।

हालांकि, 3 फरवरी को द हिंदू की रिपोर्ट अनुसार प्रषासन ने 2 फरवरी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय को सूचित किया गया कि सरकार ने सीतापुर के 162 किसानों के खिलाफ कार्यवाही को रद्द कर दिया है क्योंकि इसके आगे 'शांति भंग होने या सार्वजनिक शांति भंग होने की कोई आशंका नहीं है'।

सरकारी वकीलों की कवायद भी हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच को किसानों को इस तरह के नोटिस जारी करने का कारणों पर यकीन नही दिला सकी। न्यायालय ने सीतापुर के जिला मजिस्ट्रेट और एसडीएम को भविष्य में इस तरह के आदेश पारित करते हुए अधिक 'सतर्क' रहने का निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा, 'उनके आदेश, कार्य और आचरण ऐसे नहीं होने चाहिए जो निरंकुशता जाहिर करें और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ हों'।

उत्तर प्रदेश का कथित 'लव जिहाद' कानून

एक महीने में 14 मामले और 49 जेल में

आरएसएस द्वारा अंतर विश्वास संबंधों/विवाहों के खिलाफ प्रचारित व प्रसारित 'लव जिहाद', को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020, के 28 नवम्बर 2020, से लागू होने के बाद से नेशनल डेली *इंडियन एक्सप्रैस* की रिपोर्ट के अनुसार आंकड़े दिखाते हैं कि पुलिस ने 14 मामले दर्ज किये और 51 लोगों को गिरफ्तार किया। 14 में से 12 मामले रिश्तेदारों द्वारा दर्ज कराये गये हैं। एक को छोड़कर सभी मामलों में महिलाएं बालिग है। आठ मामलों में जोड़ों ने या तो दोस्त या प्रेमी होने की बात कही है; जबकि एक जोड़े ने शादीशुदा होने का दावा किया है।

अंतरष्ट्रीय महिला दिवस 2021

महिला को मजदूरों और किसानों के रुप में मान्यता दो

के. हेमलता

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस

महिलाओं के मुद्दों पर केंद्रित अंर्तराष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का फैसला 1910 में कोपेनहेगन में आयोजित समाजवादी महिलाओं के द्वितीय अंर्तराष्ट्रीय सम्मेलन में लिया गया था। अगले साल 1911 में दुनिया भर की लाखों महिलाएँ ने अंर्तराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सड़कों पर उतर कर जुलूस निकले. गत वर्षों में मार्च 8 को विश्व भर में अंर्तराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में स्वीकर किया गया है, और मनाया जाता है। महिला श्रमिकों के, अपने शोषणकारी कामकाजी हालातों के खिलाफ, और अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए हुए संघर्षों से ही अंर्तराष्ट्रीय महिला दिवस की उत्पत्ति हुई, और ये संघर्ष आज भी जारी हैं।

अपने संघर्षों से महिलाओं ने कुछ अधिकार जरूर जीते हैं, और अपनी कामकाजी परिस्थितियों में भी कुछ सुधार किया है। मगर पितृसत्तात्मक रवैया, महिलाओं के श्रम को कम करके आंकना, वेतन और अवसर की असमानता, और अन्य कई प्रकार के भेदभाव दुनियाभर में आज भी हावी हैं। मजदूर और अन्य कामगारों की परिस्थितियों पर होने वाले हर नवउदारवादी हमले को आज की महिला सहती है।

भाजपा शासन में महिलाओं के बिगड़ते हालात

भारत में महिलाओं के हालात में गिरावट, भाजपा के केंद्र में आने के बाद से और तेज हुई है। भाजपा शासन उन पिछड़े और पितृसत्तात्मक नजरियों को बढ़ावा दे रहा है जो महिलाओं को बच्चे पालने और परिवार सम्भालने तक सीमित करना चाहते हैं। महिलाओं के अपनी पसंद से दोस्ती करने, शादी करने, कपड़े पहनने, या यूँ कहें कि अपनी मर्जी से अपनी जिन्दगी जीने के हर हक पर दक्षिणपंथी ताकतें हमला कर रही हैं। महिलाओं के साथ हिंसा की घटनाएँ बढ़ रही हैं।

2019–20 के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 2018 से चार अंक घट कर 153 देशों में 112$^{वें}$ स्थान पर है। केवल चौदह सालों में भारत, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इकनॉमिक जेंडर गैप में 2006 के अपने 110$^{वें}$ स्थान से 39 अंक पीछे, 2020 में, 149$^{वें}$ स्थान पर पहुँच गया है। आज भारतीय महिलाओं के पास जो आर्थिक अवसर हैं, वो दुनिया में सबसे न्यूनतम हैं। जून 2020 में वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी डाटा के अनुसार भारत की महिला (की) श्रम शक्ति (में) भागीदारी दक्षिण एशिया में सबसे कम है। 1990 के 30.3 प्रतिषत से घट कर 2020 में ये पाकिस्तान (22.2 प्रतिशत) और अफगानिस्तान (21.8 प्रतिशत) से भी कम, केवल 20.3 प्रतिशत रह गया है।

मान्यता नहीं, कमतर आंकलन, अवैतनिक या कमतर वेतन का

इन आंकड़ों का मतलब यह नहीं कि भारतीय महिलाएँ काम नहीं करती हैं; यह ज्यादातर इसलिए है कि महिलाओं का श्रम अक्सर अवैतनिक या कमतर वेतन वाला होता है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जयति घोष के अनुसार 'महिलाओं में रोजगार की गिरावट दरअसल वेतन वाले काम का बिना वेतन के काम में परिवर्तन दर्शाता है'। घर का काम रोजगार का काम नहीं माना जाता। खाना, जलावन, चारा, पानी आदि जुटाना, या घर के लिए सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि को रोजगार का काम नहीं माना जाता। अर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय महिलाएं अवैतनिक कार्यों में दिन के छह घंटे लगाती हैं, जबकि भारतीय पुरुष दिन के बावन मिनट लगाते हैं। शोधकर्ताओं ने पाया है कि अगर अमान्य और कमतर आंका जाने वाला काम भी गिना जाए तो महिलाओं के श्रम में भागीदारी पुरुषों के 79.8 प्रतिशत से अधिक 86.2 प्रतिशत हो।

ध्यान दें, कि अधिकतर महिलाओं द्वारा किए गए इस श्रम की अमान्यता का असर केवल इन्हीं महिलाओं पर नहीं पड़ता। महिलाओं के इन घर के कामों को अमान्य करने से इन कार्यों का मूल्य, तब भी जब इन कार्यों को घर के बाहर, समाज के लिए किया जाए, भी कम हो जाता है।

जब महिलाएँ घर से बाहर इन कार्यों को करती हैं, तो उन्हें बहुत ही कम वेतन मिलता है। सरकार के महिला सशक्तीकरण के हर दावे के बावजूद, असलियत यह है कि हमारे देश में खुद सरकार भी महिलाओं के कार्यों को कमतर आँकती है।

भारत सरकार देश की लाखों महिलाओं को अपनी परियोजनाओं में काम देती है, जैसे आँगनवाड़ी कर्मी, या संयुक्त बाल विकास सेवाओं में सहायक, या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की आशा या उषा कर्मी, या मिड–डे–मिल योजना की कर्मचारी– ये कर्मी बच्चों और महिलाओं के लिए खाना बनाते–खिलते हैं, और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं– इस सब के लिए इन्हें पूरी तरह से कर्मी भी नहीं माना जाता और वेतन की जगह मानदेय या प्रोत्साहन राशि के नाम पर बहुत ही कम पैसा मिलता है।

साथ ही, भारत उन देशों में से है जहाँ एक ही काम कर रहे पुरुष और महिलाओं के वेतन का अंतर बहुत अधिक है। आम तौर पर महिलाओं को पुरुषों के समान काम का केवल दो तिहाई वेतन मिलता है।

यही रवैया खेती से जुड़ी महिलाओं के प्रति भी है। महिलाऐं हमारी खेती की बुनियाद हैं। वे फसल की कटाई, पशुपालन, मुर्गीपालन, वन उपज का एकत्रण आदि कई काम करतीं हैं। देश के ग्रामीण क्षेत्रों की 73 प्रतिशत महिला कर्मी कृषि संबंधित कार्यों पर निर्भर हैं। लेकिन देश की कृषि में उनका योगदान माना ही नहीं जाता। उन्हें किसान नहीं माना जाता। यही पितृसत्तात्मक सोच भारत के मुख्य न्यायाधीष की हाल ही की टिप्पणी में भी झलकी जब उन्होंने पूछा कि किसान कानूनों से जुड़े विरोध प्रदर्शनों में महिलाओं और बुजुर्गों को क्यों रखा गया है।

महिलाओं द्वारा किया जाने वाले अवैतनिक काम की समस्या केवल भारत में सीमित नहीं है। विश्व भर में महिलाओं द्वारा अवैतनिक कार्यों को दिया जाने वाला समय, पुरुषों के मुकाबले कई गुना है। दुनिया में लैंगिक समानता में सबसे अग्रणी देशों में शुमार, और ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2020 में विश्व में दूसरा स्थान प्राप्त नॉर्वे तक में महिलाएं पुरुषों के मुकाबले लगभग दुगना समय घर के ऐसे अवैतनिक कार्यों में देती हैं। जापान में यह चार गुना से अधिक है। महिलाओं के काम को कमतर आँकना, महिलाओं और पुरुषों के श्रम के ऐतिहासिक विभाजन और पितृसत्ता, निजी सम्पत्ति और उसके उत्तराधिकार के साथ हुए विकास में उत्पन्न हुआ है।

मान्यता के लिए संघर्ष

आज, महिलाऐं अपने काम को काम का दर्जा दिलाने के लिए, समान अवसरों के लिए, समान वेतन के लिए, और नागरिकों के नाते समान अधिकारों के लिए संघर्षरत हैं।

महिला कर्मी, खास तौर पर सरकारी परियोजनाओं में कार्यरत महिला कर्मी, अपने कर्मी होने की मान्यता; मानदेय नहीं, वेतन की लड़ाई लड़ रहीं हैं। महिला कर्मी, समान वेतन की, क्रेच युक्त और यौन उत्पीड़न से मुक्त कार्यस्थल की, और कार्यस्थल और समाज में अपने मान की लड़ाई लड़ रहीं हैं। कर्मियों के खून पसीने से कमाए संगठन और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकारों पर शासक वर्गों के लेबर कोड रूपी हमलों के खिलाफ संघर्ष में भी वे लगातार जुड़ रहीं हैं। विभिन्न क्षेत्रों की सैंकड़ों हजारों महिला कर्मी और कर्मचारी ट्रेड यूनियन आंदोलन के धरना–प्रदर्शनों में हिस्सा ले रही हैं।

महिला किसान भी अपने किसान होने की मान्यता की, अपनी जमीनों के अपने नाम पर पंजीकरण की, पुरुष किसानों के समान ही ऋण और अन्य सुविधाओं की लड़ाई लड़ रहीं हैं। वे भी देश की कृषि को कॉरपोरेट के हवाले करने वाले, किसानों के लिए विनाशकारी, तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलनों का हिस्सा बन रहीं हैं।

ये संघर्ष ना केवल मौजूदा माँगे रख रहे हैं, बल्कि कॉरपोरेट के फायदे सुरक्षित करने वाली, और पूँजी को चंद हाथों में समेट देने वाली नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार की नवउदारवादी नीतियों का प्रतिरोध भी कर रहे हैं।

ऐसी नीतियों के खिलाफ इन संघर्षों में मेहनतकश जनता – महिला और पुरुष, को जोड़ कर और तेज करना होगा।

नवउदारवादी नीतियों का अंत और पितृसत्तात्मक व्यवस्था में परिवर्तन ही महिला मुक्ति, और समाज में उनकी सही पहचान पाने की ओर, महिलाओं के बढ़ते मार्च में सहायक होंगे।

इस अंर्तराष्ट्रीय महिला दिवस पर, आइए शपथ लें कि इन संघर्षों को हम सब, खुद आगे बढ़ायेंगे।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 पर सीटू का आह्वान

सीटू ने 8 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अपनी इकाइयों, कमेटियों, फेडरेशनों और यूनियनों का देश भर में चल रहे किसानों और मजदूरों के गहन संघर्ष की पृष्ठभूमि में निष्पक्ष तरीके से मनाने, जैसा कि कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति (एआईसीसीडब्लयूडब्लयू) द्वारा तय किया गया है, का आह्वान किया।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 निम्न मुद्दों और माँगों पर मनाया जाएगा –

– महिलाओं को 'मजदूरों' और 'किसानों' के रूप में मान्यता – अवैतनिक या असमान मजदूरी;

– महिलाओं की कार्य सहभागिता, नौकरी के नुकसान और बेरोजगारी में संकुचन;

– महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा में वृद्धि;

– सभी सुरक्षात्मक विधानों को हटाये जाना;

– संसद और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण सहित निर्वाचित निकायों में प्रवेश और प्रतिनिधित्व;

– योजना कर्मियों का नियमितीकरण, न्यूनतम वेतन और पेंशन।

कार्रवाई कार्यक्रमों में महिलाओं की अधिकतम भागीदारी और माँगों पर ज्ञापन प्रस्तुत करना शामिल है।

सीटू ने कामकाजी महिलाओं की राज्य समन्वय समिति को तैयार करने और महिला मजदूरों के राज्य, जिला, स्थानीय और कार्यस्थल स्तर पर लामबंदी मुहिम शुरू करने का आह्वान किया; और बिरादराना संगठनों और बिरादराना ट्रेड यूनियन संगठनों की महिलाओं की उपसमिति के साथ संयुक्त गतिविधियों के लिए पहल करना है।

निजीकरण के लिए

'आत्मनिर्भर भारत' के लिए नई सार्वजनिक क्षेत्र की नीति

मोदी सरकार ने 'आत्मनिर्भर भारत' के लिए अपनी नई सार्वजनिक क्षेत्र की नीति की घोषणा कर दी है। 4 फरवरी, 2021 को केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) ने *'आत्मनिर्भर भारत के लिए नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम(पीएसई) नीति '* पर ज्ञापन जारी किया।

इस नई नीति के तहत, सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों को 'रणनीतिक' और 'गैर–रणनीतिक' क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा रहा है।

रणनीतिक क्षेत्र

1. परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और रक्षा;
2. यातायात और दूरसंचार
3. बिजली, पेट्रोलियम, कोयला और अन्य खनिज पदार्थ; और
4. बैंक, बीमा और वित्तीय सेवाएं

नीति

– कंपनी संभालने में मौजूदा सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक उद्यमों की नाम भर की उपस्थिति स्तर को सरकारी नियंत्रण में रखा जाएगा;

– बचे हुए उद्यमों के *निजिकरण* ; या अन्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के साथ *विलय* , या सब्सिडीकरण; या बंद करने पर विचार किया जाएगा;

गैर–रणनीतिक क्षेत्र

– बाकी बचे हुए सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम

नीति

– गैर–रणनीतिक क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के *निजिकरण*, जंहा संभव हो, या फिर समापन पर विचार किया जाये।

हिमालयी आपदा

सैंकड़ों मजदूर लापता

7 फरवरी 2021 को, हिमालयी पहाड़ों में गहरे हिमस्खलन के कारण, पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ, चट्टान और पानी की घातक गति से गर्जना होने लगी, जो उत्तराखंड के चमोली जिले के रेनी गाँव के रास्ते में लगभग सब कुछ निगल गयी। हैदराबाद आधारित ऋत्विक रेलवे कम्पनी द्वारा नए रेलमार्ग का निर्माण किया जा रहा था। 5/6 मजदूरों को छोड़कर अन्य सभी मजदूर अभी भी लापता हैं, रिपोर्ट मीडिया पोर्टल सीएनएन।

सीटू से सम्बद्ध *संविदा श्रमिक संघ* का कार्यालय, जहाँ आम दिनों के दौरान बहुत सारे मजदूरों के साथ हलचल भरी गतिविधि बनी रहती थी, ने एक उजाड़ रूप धारण कर लिया। ऋत्विक कंस्ट्रक्शन कम्पनी के 115 और ओम मेटल कम्पनी के 21 मजदूर, दोनों तपोवन में एनटीपीसी परियोजना में काम कर रहे हैं, पिछले 4 दिनों से गायब हैं, सीटू, अन्य जन संगठनों और सीपीआई (एम) के एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने आपदा स्थल पर जाने के बाद 10 फरवरी को रिपोर्ट की है।

यूनियन के अध्यक्ष देविंदर खनेरा गमगीन हैं। वह खुद को जीवित रखने में कामयाब रहे क्योंकि आपदा से पहले वह परियोजना कार्यालय में आ गए थे। उनके चाचा, एक भतीजे और एक चचेरे भाई बह गये और केवल भतीजे के शरीर को पुनः हासिल किया जा सका। देविंदर राहत कार्य में सहायता करने और अपने व्यक्तिगत नुकसान के बावजूद अन्य व्याकुल मजदूरों की सहायता करने में लगे ही रहे। प्रोजेक्ट में दोनों ड्राइवर राजिंदर रावत और राजिंदर केंटुरा बमुश्किल बच पाए। उनका एक वाहन बह गया। दोनों यूनियन के सक्रिय सदस्य हैं।

प्रतिनिधिमंडल ने श्रम शिविर का दौरा किया और बचे लोगों के साथ बातचीत की। ऋषि गंगा परियोजना में भी 56 श्रमिक गुमशुदा हैं। कई मजदूर केवल इस तथ्य के कारण बच गए कि रविवार को आपदा तब हुई जब उपस्थिति ना के बराबर थी। अन्यथा जानमाल का नुकसान ज्यादा होता।

लापता मजदूरों के कई रिश्तेदार अपने प्रियजनों की तलाश में आए थे। आयी हुई टीम को झारखंड के एकमात्र उत्तरजीवी द्वारा सूचित किया गया कि 12 अन्य लापता थे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के एक मजदूर आशीष ने बताया कि जिले के लगभग 25 मजदूर अभी भी लापता हैं। एक शव की पहचान की गई और उसे लखीमपुर खीरी ले जाया गया। सहारनपुर से एक व्यक्ति अपने भतीजे सादिक की तलाश में आया था जो लापता था। ऋषि गंगा प्रोजेक्ट में इंजीनियर बशरत के रिश्तेदार और दोस्त उसकी तलाश में आए थे। टिहरी परियोजना में कार्यरत रवि अपने चाचा के साथ अपने भाई की तलाश में आया था वह भी लापता था।

परेशान रिश्तेदारों और दोस्तों ने कहा कि भाजपानीत राज्य सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही है और कोई सहायता नहीं मिली। अब तक 18 शवों को बरामद किया जा सका है जिनमें से 15 की पहचान की जा सकी है। कुछ कटे हुए हिस्सों को बरामद किया गया, जिससे पीड़ितों की पहचान करना लगभग असंभव हो गया। 4 दिनों के बाद भी, 38 से अधिक मजदूरों के शरीरों को उस सुरंग से नहीं निकाला जा सका जो गाद और मलबे से भरी है।

मवेशी चराने या घास काटने गई कुछ महिला चरवाहों सहित लगभग 12 ग्रामीण भी गायब थे। सभी 13 पुल बर्बाद हो गये जिससे 33 से अधिक गांव पूरी तरह से कट गये हैं। मुख्य राजमार्ग पर एक पुल भी नष्ट हो गया। कई घरों को भी नुकसान पहुँचा है।

प्रतिनिधिमंडल ने उन परियोजना अधिकारियों से भी मुलाकात की जो दुख की घड़ी में मजदूरों के साथ खड़े हैं।

राज्य सरकार ने प्रत्येक मृतक के परिवारों को 4 लाख रुपये के अपर्याप्त मुआवजे की घोषणा की है। एनटीपीसी ने प्रधानमंत्री राहत कोष से 20 लाख रुपये और 2 लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की। प्रतिनिधिमंडल ने महसूस किया कि प्रतिक्रिया असंवेदनशील रही है और प्रति परिवार को 50–50 लाख मुआवजा और शोक संतप्त परिवार के एक सदस्य के लिए एक सरकारी नौकरी की माँग की। गंभीर रूप से घायलों को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाना चाहिए। न्यूनतम सावधानियों या आपदा चेतावनी प्रोटोकॉल के पूर्ण विचलन के कारण मजदूरों की ड्यूटी पर मृत्यु हो गई है। सरकार को इस पारिस्थितिक दृष्टि से संवेदनशील नंदा देवी बायोस्फीयर क्षेत्र में विभिन्न निर्माण गतिविधियों जैसे टनलिंग, ब्लास्टिंग, ड्रिलिंग आदि की तुरंत समीक्षा करनी चाहिए।

प्रतिनिधिमंडल ने दुकानों या घरों जैसी इमारतों के पुनर्निर्माण और पुलों की शीघ्र बहाली की माँग की। रेड क्रॉस द्वारा केवल एक छोटा सा प्राथमिक चिकित्सा शिविर था और खालसा एड भोजन के साथ–साथ चिकित्सा सहायता भी दे रहा था। सरकार को पीड़ितों के रिश्तेदारों के भोजन और रहने की व्यवस्था करनी चाहिए। यह मुख्य रूप से आदिवासी क्षेत्र को आवश्यक खाद्यान्न प्रदान किया जाना चाहिए। संचार और परिवहन सुविधाओं की बहाली को इस उद्देश्य के लिए प्राथमिकता के रूप में लिया जाना चाहिए।

प्रतिनिधिमंडल ने 310 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 14 घंटे से अधिक का समय लेकर रैनी गांव तक देहरादून से यात्रा की। चारधाम राजमार्ग के साथ–साथ पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में रेलवे लाइनों के लिए सुरंग खोदने के लिए बड़े पैमाने पर ड्रिलिंग कार्य भूस्खलन का कारण बना और इसे एक यातनापूर्ण यात्रा बना दिया।

प्रतिनिधिमंडल में एआईकेएस के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव विजू कृष्णन, माकपा उत्तराखंड के राज्य सचिव राजेंद्र नेगी और इसके चमोली जिले के सचिव, सीटू जिला अध्यक्ष और महासचिव, एसएफआई के राज्य सचिव हिमांशु चौहान, अन्य नेता और एक वरिष्ठ पत्रकार शामिल थे।

सेल के और अधिक विनिवेश की सीटू ने कड़ी निंदा की

सीटू ने केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के 10 प्रतिशत शेयरों को एकदम सस्ती कीमत पर बेचने के फैसले की निंदा की। 14 जनवरी, 2021 को सीटू ने एक बयान में कहा 'यह राष्ट्रीय हितों की हानि और कॉरपोरेट के लाभों के लिए मूल्यवान राष्ट्रीय संपत्ति की नीलामी के सिवा और कुछ भी नहीं है। केवल निजी कॉरपोरेट विदेशी और देशी दोनों को फायदा पहुंचाने के लिए सेल को चरणबद्ध निजीकरण की ओर धकेलना, वह भी एकदम सस्ती किमतों पर। यह महारत्न कम्पनी सेल, जिसके पास विशाल सम्पदा आधार है, को नुक्सान पंहुचाने की बेशर्म कोशिश है।

पहले ही सेल के लगभग 25 प्रतिशत शेयर क्रमिक सरकारों द्वारा बेच दिए गए हैं। जब सेल को आर्थिक रूप से एक कठिन स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, उसके बाद शेयर की कीमत में लगभग 74 रु. की तेज गिरावट आई है। डीआईपीएएम ने ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के तहत सेल के शेयरों को, बाजार मूल्य के स्तर से प्रस्ताव मूल्य घटाते हुए, 64 रु. प्रति शेयर के निम्न मूल्य पर रखा है।

देश का संपूर्ण ट्रेड यूनियन आंदोलन, देशी और विदेशी दोनों निजी कॉरपोरेट द्वारा राष्ट्रीय संपत्ति पर लूट को आसान बनाते हुए देश के सार्वजनिक उपक्रमों के लापरवाह विनिवेश और निजीकरण के जरिये इस तरह की नुक्सान पंहुचाने वाली गतिविधियों का विरोध कर रहा है।

सीटू ने मजदूर वर्ग और विशेष रूप से इस्पात मजदूरों के आंदोलन को सरकार की सेल में शेयरों के विनिवेष के प्रयास की निंदा करने और अपने एकजुट विरोध में आवाज उठाने के लिए आह्वान किया।

पेट्रो–उत्पादों पर से उत्पाद शुल्क वृद्धि को वापस लो

माकपा के पोलित ब्यूरो ने 18 फरवरी को एक बयान में, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में एक और वृद्धि की कड़ी निंदा की। उत्पाद शुल्क में ये बढ़ोतरी ऐसे समय में आई है जब अंर्तराष्ट्रीय तेल कीमतें 2014 में रु. 47.12 से घटकर 2021 में रु. 29.34 हो गई हैं।

इन बढ़ती कीमतों का मुख्य कारण केंद्र सरकार द्वारा उत्पाद षुल्क में बेलगाम बढ़ोतरी है। 2014 में केंद्र की मोदी सरकार के सत्ता संभालने के बाद से केंद्र द्वारा लगाए गए कर में 217 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

मोदी सरकार के अमीर और घनिष्ठ मित्रों द्वारा जनता, जो पहले से ही महामारी और आर्थिक मंदी से अपनी आजीविका पर दोहरे हमले के कारण कराह रहे हैं, पर और अधिक बोझ डालते हुए इन उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी की माँग की गई है।

पेट्रोल उत्पादों की कीमतों में वृद्धि के परिणामस्वरुप भारी परिवहन लागत के चलते सभी आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ाएगी। जो आर्थिक मंदी को और भी बदतर बना देगी।

श्रम संहिताओं का कच्चा चिट्ठा

आर. करुणमलैयन

etnjk }kjk dM+k l?k"k vkj gM+rkyk d tfj, gkfly 44 Je dkuuk dk Je lfgrkvk l cny dj etnjk dh dkedkth ifjfLFkfr;k vkj vf/kdkjk ij ekph ljdkj d gey d fuEufyf[kr dN Ák#i gA

12 घंटे काम

8 फरवरी 2021 को मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय श्रम सचिव ने कहा कि सरकार जल्द ही लचीलापन की धारा के साथ काम करने के लिए दिनों की संख्या प्रतिसप्ताह 48 घंटे काम – 12 घंटे प्रतिदिन पर चार दिन, 10 घंटे प्रतिदिन पर पांच दिन, और प्रतिदिन छह घंटे पर आठ दिन 'देश में बदलते कार्य संस्कृति के साथ तालमेल रखने के लिए' कोड/नियमों में प्रावधान लाएगी।

ओएसएच पर संहिता की धारा 26 (1) कहती है कि 'किसी भी मजदूर को एक सप्ताह में छह दिनों से अधिक समय तक किसी प्रतिष्ठान में काम करने की अनुमति नहीं होगी' (दिनों की संख्या कम करने पर कोई रोक नहीं है); और नियम 28 (1) में कहता है कि 'किसी भी मजदूर को किसी भी सप्ताह में अड़तालीस घंटे से अधिक समय तक किसी प्रतिष्ठान में काम करने की आवश्यकता या अनुमति नहीं होगी'। श्रम सचिव का कहना है कि'*48 घंटे अटल है।*

ओएसएचडब्लयूसी कोड के सभी पुराने मसौदों (यहाँ तक कि एक तो 23 जुलाई, 2019 को संसद में भी पेश किया गया), ने नियमों में ''दैनिक काम के घंटों'' के मुद्दे को 'उपयुक्त सरकार' द्वारा तय किए जाने के लिए छोड़ दिया था। हालांकि, चौतरफा विरोध और आलोचना होते देख, आखिरकार सरकार ने एक दिन में 8 घंटे काम प्रस्तावित किया। ओएसएच कोड, 2020 की धारा 25 (1) (ए) कहता है, 'किसी भी कर्मचारी को एक दिन में आठ घंटे से अधिक समय तक किसी प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों के वर्ग में भी काम करने की आवश्यकता या अनुमति नहीं होगी'।

लेकिन, नियम 28 'समुचित सरकार' को 'विस्तारित' समय के प्रावधान के रुप में 12 घंटे निर्धारित करने का अधिकार देता है। 12 घंटे के विस्तार का प्रावधान नियोक्ताओं को 12 घंटे के लिए मजदूरों को कार्यस्थल में बांधे रखने का अधिकार देता है।

औद्योगिक संबंध कोडः ट्रेड यूनियन के अधिकारों पर प्रतिबंध

चन्दा

धारा 7(एफ) के तहत सरकार को ट्रेड यूनियनों के सदस्यों द्वारा भुगतान किए जाने वाले चन्दे को निर्धारित करने का अधिकार है।

सरकार को उन दान को विनियमित करने का भी अधिकार है जो ट्रेड यूनियन अपने सदस्यों और अन्य लोगों से प्राप्त करेंगे।

हड़ताल तोड़ने वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं

धारा 93 (1) में यह प्रावधान है कि हड़ताल, जिसे सरकार अवैध मानती है, में भाग लेने से इंकार करने पर ट्रेड यूनियन द्वारा किसी भी सदस्य पर जुर्माना, दंड थोपना, निष्कासित या किसी भी लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है।

धारा 93 (2) उस मजदूर, जिसके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई की जाती है, को राहत के लिए दीवानी न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के सक्षम बनाता है और न्यायालय को सदस्यता की बहाली देने या ट्रेड यूनियन को संबंधित मजदूर को मुआवजे या नुकसान का भुगतान करने के लिए आदेश जारी करने का अधिकार देता है।

न्यूनतम सदस्यता आवश्यकता

यूनियन का पंजीकरण, पहले के 7 मजदूरों वाली आवश्यकता को बदल दिया है, तभी होगा जब कार्यरत मजदूरों का कम से कम 10 प्रतिशत या 100 मजदूर, जो भी कम हो, की आवश्यकता होगी।

ट्रेड यूनियनों का पंजीकरण

आवश्यकताओं को पूरा करने पर भी धारा 9(1) के तहत रजिस्ट्रार यूनियन्स, यूनियन को पंजीकरण करने से इंकार कर सकता है।

पंजीकरण का रद्दीकरण

धारा 9(5) रजिस्ट्रार यूनियन्स को किसी भी ट्रेड यूनियन का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार देती है।

धारा 9(6)(2) रजिस्ट्रार को किसी भी ट्रेड यूनियन द्वारा ट्रेड यूनियन संबंधित संहिता के प्रावधानों के उल्लंघन की जानकारी मिलने पर उस ट्रेड यूनियन का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार देती है। इसके लिए किसी भी तरह की पूर्व सूचना की आवश्यकता नहीं होगी।

अपील

ट्रेड यूनियनों के पंजीकरण निरस्तीकरण से संबद्ध मामले शायद औद्योगिक प्राधिकरण में दर्ज किये जाएंगे। हालांकि, प्राधिकरण के पास पंजीकरण निरस्तीकरण पर रोक लगाने या रजिस्ट्रार के आदेश को रद्द करने का कोई अधिकार नहीं है।

मजदूरों को गुलाम बनाने के प्रयास

दीपोन मित्रा

मुख्य रूप से अंर्तराष्ट्रीय पूँजी और वित्त को खुश करने के लिए 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ाने के एकमात्र उद्देश्य के लिए ही श्रम संहिताएं बनाई गई हैं, जिसने अपनी इस प्रक्रिया में घरेलू पूँजी और वित्त को मजदूर वर्ग पर पूरी तरह से क्रूरता का अधिकार दे दिया है।

औद्योगिक सम्बन्ध कोडः कुछ प्रमुख प्रावधान

नियत अवधि का रोजगार

औद्योगिक सम्बन्ध कोड ने 'नियत अवधि का रोजगार' प्रस्तावित किया है जिसका मतलब है किसी भी मजदूर को एक नियत अवधि के लिए नियुक्त करना। यह एक नियोक्ता को मजदूरों को अपनी मर्जी अनुसार नियत अवधि के लिए नियुक्त करने का वैध अधिकार प्रदान करता है। उनके लिए सेवानिवृत्ति की कोई आयु नहीं होगी।

ले–ऑफ, छंटनी और बन्दी

पिछले कानून के अनुसार, 100 से अधिक मजदूरों की नियुक्ति वाले प्रतिष्ठान में, मजदूरों को ले–ऑफ/छंटनी करने के लिए उपयुक्त सरकार से पूर्व अनुमति अनिवार्य थी। नया आईआर कोड, सीमा को 300 मजदूरों से अधिक बढ़ाकर 300 से कम मजदूरों वाले उद्योगों को बड़े पैमाने पर, उपयुक्त सरकार से पूर्व अनुमति के बिना ले–ऑफ/छंटनी करने की अनुमति देता है।

कुल वेतन में गिरावट

एक वेतन पैकेट में यदि भत्ते कुल वेतन का 50 प्रतिशत पार करते हैं, तो 50 प्रतिशत से ऊपर की राशि को मूल वेतन में शामिल किया जाएगा और इस प्रकार कुल वेतन में गिरावट होगी। दूसरी ओर सेवानिवृति की बकाया राशि बढ़ेगी, बशर्ते कि मजदूर के सेवानिवृत्त होने के समय उसे यही वेतन भुगतान किया जाए।

हड़ताल और तालाबन्दी

स्थितियों को इतना गंभीर बना दिया गया है कि हड़ताल करना लगभग असंभव हो गया है इस तरह मजदूरों को उनके सबसे प्रभावी हथियार, हड़ताल करने के अधिकार, के इस्तेमाल से वंचित कर दिया गया है।

आईआर कोड के तहत, एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नियुक्त कोई भी व्यक्ति हड़ताल पर नहीं जा सकता है अन्य बातों के साथ ही साथः (1) 60 दिनों के भीतर नोटिस दिए बिना; (2) इस तरह के नोटिस के 14 दिनों के भीतर; (3) नोटिस में निर्दिष्ट हड़ताल की तारीख की समाप्ति से पहले; (4) सुलहवार्ता कार्यवाही और मुकदमेबाजी और मध्यस्थता कार्यवाही सहित किसी भी कार्यवाही के चलने के दौरान और इस तरह के मुकदमेबाजी और मध्यस्थता कार्यवाही के समापन के 60 दिन बाद; (5) किसी भी अवधि के दौरान जिसमें समझौता या फैसला चलन में है, कोई भी मामला किसी समझौता या फैसले के परिचालन में है; आदि।

आईडी अधिनियम के तहत, हड़ताल और तालाबन्दी से संबंधित ऐसे प्रावधान केवल सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं तक ही सीमित थे, जैसा कि आईडी अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया था। आईआर कोड ने इन प्रावधानों को सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर लागू किया है।

निरंतर बीमार स्वास्थ्य, मुआवजे के बिना नौकरी की समाप्ति की ओर ले जाता है

आईआर कोड यह स्पष्ट करता है कि शासक वर्ग मजदूरों के प्रति कितना अमानवीय हो सकता है कि एक जीर्ण मरीज मजदूर को बिना किसी मुआवजे के आसानी से निकाला जा सकता है क्योंकि यह छंटनी की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है।

सेवा की शर्तों में परिवर्तन की सूचना

आईआर कोड ने एक नया नियम पेश किया है, जिसके तहत किसी भी कर्मचारी की सेवा की शर्तों में किसी भी तरह के बदलाव की कोई अग्रिम सूचना आवश्यक नहीं है, बशर्ते वह उपयुक्त सरकार के आदेशों से सहमत हो। इसका मतलब है सरकार द्वारा अनिवार्य लॉकडाउन या कुछ व्यवसाय के संचालन पर प्रतिबंध जैसे मामलों में यह नियोक्ता के लिए लाभदायक होगा।

नियोक्ताओं के लिए जुर्मानों की अनुकूलता

जुर्मानों को नियोक्ताओं के लिए हितकारी बनाया गया है। उदाहरण के लिए, पहले, छंटनी से संबंधित कानून का उल्लंघन नियोक्ता को सलाखों के पीछे भेज सकता था। लेकिन, अब उसे केवल 1 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक का मौद्रिक जुर्माना देना होगा।

रोजगार स्टैंडिंग ऑर्डर्स (स्थायी आदेश)

प्रत्येक औद्योगिक प्रतिष्ठान, जहाँ 300 या उससे अधिक मजदूर कार्यरत हों, को स्थायी आदेशों को तैयार करने की आवश्यकता होगी यानी, 300 से कम मजदूरों वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों को स्थायी आदेश को तैयार करने की आवश्यकता ही नहीं होगी।

एकल वार्ताकार यूनियन की मान्यता

यदि मजदूरों की केवल एक (1) पंजीकृत ट्रेड यूनियन एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्य कर रही है, तो वह औद्योगिक प्रतिष्ठान को कुछ निर्धारित मानदंडों के अंतर्गत ऐसे ट्रेड यूनियन को वार्ताकार यूनियन के रूप में मान्यता देनी होगी।

इस परिप्रेक्ष्य में कि एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में मजदूरों की 1 से अधिक पंजीकृत ट्रेड यूनियनें काम कर रही हैं, तो उस औद्योगिक प्रतिष्ठान के मस्टर रोल पर 51 प्रतिशत या उससे अधिक मजदूरों की सदस्यता वाले ट्रेड यूनियन को वार्ताकार यूनियन के रूप में मान्यता दी जाएगी।

वार्ताकार परिषद में प्रतिनिधित्व

जब सदस्यों के रूप में 51 प्रतिशत मजदूरों वाली कोई यूनियन नहीं होती है, तो नियोक्ता उस यूनियन के 1 प्रतिनिधि को मिलाकर एक टीम का गठन करेगा, जिसके पास सदस्यों के रूप में कम से कम 20 प्रतिशत मजदूर हैं। इससे पहले, यह 10 प्रतिशत था।

सामाजिक सुरक्षा पर कोड 2020

विधेयक 2020 सभी 3 श्रेणियों के मजदूरों – असंगठित मजदूरों, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म मजदूरों के पंजीकरण के लिए एक अनिवार्य प्रावधान बनाता है।

सामाजिक सुरक्षा संहिता के दायरे में मजदूरों की इन श्रेणियों को शामिल नहीं किया गया है। 10 से अधिक मजदूरों को नियुक्त करने वाले निर्माण स्थलों को कोड के दायरे मे शामिल किया जाएगा, लेकिन व्यक्तिगत निर्माण कार्य को इससे पूरी तरह से छूट दी गई है।

20 से अधिक व्यक्तियों को नियुक्त करने वाले कारखानों को भविष्य निधि के प्रावधानों को लागू करने की आवश्यकता होती है, जो कि इस दायित्व से मध्यम और छोटे स्तर के अधिकतर क्षेत्रों को छूट देता है। इन मजदूरों को या तो आंशिक रूप से या अपर्याप्त रूप से या कोड के दायरे में बिल्कुल भी शामिल नहीं किया गया है। मजदूरों को अंतर–राज्य प्रवासी मजदूरों के रूप में योग्य होने के लिए रु .18,000 प्रतिमाह के वेतन की सीमा निर्धारित की गई है।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थय एवं कामकाजी परिस्थितियों पर कोड 2020

1. सबसे बुरा तो यह है कि सरकार आपातकाल की स्थिति में, अधिसूचना द्वारा, किसी भी प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठानों के एक तबके या ठेकेदारों के किसी भी तबके को संहिता के किसी या सभी प्रावधानों से छूट दे सकती है।

2. कोड ने ऐसी विनिर्माण प्रक्रिया में जहाँ बिजली का इस्तेमाल होता है मजदूरों की वर्तमान संख्या 10 को बढ़ाकर अब 20 कर दिया है, (2) और जहाँ बिजली इस्तेमाल नहीं होती है वहाँ 20 बढ़ाकर 40 कर दिया है इस प्रकार के संस्थानों की संख्या बहुत अधिक है जिन पर ओएसएच कोड के प्रावधान लागू होने चाहिए।

3. कोड उन ठेकेदारों और संस्थानों पर लागू होगा जो 50 या उससे अधिक मजदूरों को काम पर लगाते हैं।

4. ओएसएच कोड ऐसे संस्थानों की आम प्रक्रियाओं को छूट देता है जो (1) ठेकेदार द्वारा किये जाते है; (2) और जहाँ पूरे दिन के बड़े हिस्से में स्थायी मजदूरों की आवश्यकता नहीं होती हो; (3) और जहाँ निश्चित अवधि में काम पूरा करने के लिए मूल गतिविधियों वाले काम की तादाद अचानक बढ़ जाये।

5. जब यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि महिलाओं को भी रोजगार के अवसर मुहैया कराये जायेंगे तो ओएसएच कोड कहता है कि महिलाओं को खदान कार्य सहित सभी प्रकार के काम सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद भी करने होंगे। यह कोड नियोक्ताओं को महिलाओं से चौबीसों घंटे काम करवाने से पहले आवश्यक सुरक्षा उपायों के इंतजाम के लिए कोई दिशानिर्देश नहीं देता है और ना ही अवहेलना करने पर कोई सख्त दंड का प्रावधान किया है।

6. जहाँ एक ओर यह कोड खदानों में 18 साल से कम उम्र वालों से काम लेने को प्रतिबंधित करता है वहीं दूसरी ओर 16 साल से अधिक उम्र के अप्रेंटिसों से काम लेने की बात करता है।

7. कोड के तहत अपराध करने पर आर्थिक दंड से लेकर 3 महीने तक की सजा का प्रावधान है लेकिन यह किसी भी न्यायालय को समुचित सरकार की अग्रिम इजाजत के बिना अपराध की सुनवाई करने की छूट नहीं देता।

8. ओएसएच कोड ऐसे संस्थानों में सेफ्टी कमिटी की बात करता है जहाँ 250 या उससे अधिक मजदूर काम पर लगाये जाते है यह 90 प्रतिशत से अधिक इकाईयों को ऐसी कमेटीयों से मुक्त कर देगा।

9. नियत अवधि रोजगाार (एफटीई) वाले मजदूरों को बिना नोटिस के निकाला जा सकता है और वे अन्य मजदूरों के साथ हड़ताल में हिस्सा भी नहीं ले सकेंगे।

वर्किंग जर्नलिस्टों पर श्रम संहिताओं का प्रभाव

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

प्रेस की स्वतंत्रता के मद्देनजर, संविधान (प्रथम संशोधन) विधेयक 1951 के दौरान प्रिंट मीडिया तथा कार्यरत पत्रकारों के हालातों को लेकर संसदीय बहस हुई थी। प्रधानमंत्री ने इन मामलों का तह तक परीक्षण करने के लिए एक 'प्रेस आयोग' का गठन करने के बारे में संसद को आश्वस्त किया था। यह मामला प्रेस (आपत्तिजनक सामग्री) विधेयक, 1952 पर बहस के दौरान फिर से उठा।

इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ने 1952 में अपने कलकत्ता सम्मेलन में सरकार से जल्द प्रेस आयोग गठित करने की माँग करते हुए प्रस्ताव पारित किया था।

अंततः, भारत सरकार ने 1952 में प्रेस आयोग का गठन किया। सरकार ने *वर्किंग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूज़पेपर एम्पलायज (कंडीशंस ऑफ सर्विस) मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट, 1955 (संक्षिप्त में वर्किंग जर्नलिस्ट्स एक्ट)* पारित किया।

वर्किंग जर्नलिस्ट्स एक्ट के दो विशेष पहलू

प्रेस आयोग की रिपोर्ट तथा संसदीय बहस ने वक्रिंग जर्नलिस्ट्स एक्ट के दो विशेष पहलूओं पर जोर दिया।

प्रथम पहलू – उनके कार्य की विशेष प्रकृतिः प्रेस आयोग ने ध्यानपूर्वक विचार किया कि क्या साधारण औद्योगिक सम्बन्ध कानून – औद्योगिक विवाद एक्ट, 1947, वर्किंग जर्नलिस्ट्स पर लागू होता था और काफी था; और यह निष्कर्ष निकाला कि अन्य

मजदूरों से भिन्न, वर्किंग जर्नलिस्टों के कार्य की प्रकृति विशेष है। इसीलिए, आईडी एक्ट व अन्य श्रम कानूनों के अतिरिक्त उनकी सेवा व काम के हालातों को संभालने के लिए एक अलग कानून होना चाहिये।

वर्किंग जर्नलिस्ट्स के कार्य की विशेष प्रकृति को देखते हुए संसद ने वर्किंग जर्नलिस्ट्स एक्ट, 1955 पारित किया।

दूसरा पहलू – राष्ट्रीय वेतन बोर्डः प्रेस आयोग की रिपोर्ट में वर्किंग जर्नलिस्ट्स के लिए सुझाये विशेष कानून में उनकी सेवा हालातों के हिस्से के रुप में न्यूनतम वेतन तय करने की सिफारिश की। संसद में बहस के दौरान सवाल उठा कि न्यूनतम वेतन कैसे तय हो। यह भी सवाल उठा की मजदूरों को 'डीसेन्ट लिविंग वेज' प्रदान करने के संवैधानिक उद्देश्य की रौशनी में, वर्किंग जर्नलिस्ट्स के लिए फेयर वेज ना देकर न्यूनतम वेतन तक सीमित क्यों रहा जाये।

अंततः संसद के विवेकानुसार, वर्किंग जर्नलिस्ट्स के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय वेतन बोर्ड की नियुक्ति के प्रावधान को शामिल किया गया।

इस प्रकार, वर्किंग जर्नलिस्ट्स के लिए राष्ट्रीय वेतन बोर्ड की नियुक्ति वर्किंग जर्नलिस्ट्स एक्ट का प्रावधान बनी।

संसद द्वारा पारित मोदी सरकार की श्रम संहिताएं

सत्तारुढ़ केन्द्र सरकार ने 17 सितम्बर, 2020 को लोकसभा तथा 20 सितम्बर, 2020 को राज्यसभा में जल्दबाजी में 3 श्रम संहिताओं तथा 3 कृषि कानूनों को पारित किया जो 27 सितम्बर को राष्ट्रपति की तुरंत स्वीकृति के बाद कानून बन गये। वेतन संहिता को संसद ने 2019 में पारित किया था।

वर्किंग जर्नलिस्ट्स अधिनियमों को निरस्त करना

वर्किंग जर्नलिस्ट्स एक्ट की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि व उसके दो विशेष पहलूओं–(1) कार्य की विशेष प्रकृति (2) एक्ट में राष्ट्रीय वेतन बोर्ड के प्रावधान को अनदेखा कर केन्द्र की मोदी सरकार ने (ऑकुपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस) ओएसएच संहिता के माध्यम से वर्किंग जर्नलिस्ट्स एक्ट तथा वर्किंग जर्नलिस्ट्स (फिक्जेशन ऑफ द रेटस् आफॅ वेजज) एक्ट, 1958, दोनों को निरस्त कर दिया।

वर्किंग जर्नलिस्ट्स के लिए राष्ट्रीय वेतन बोर्ड की समाप्ति

वर्किंग जर्नलिस्ट्स एक्ट (और इसके परिपूरक अधिनियम) की समाप्ति के साथ, वर्किंग जर्नलिस्ट्स के लिए प्रथम वेतन बोर्ड, 1956, के अस्तित्व के 64 साल बाद राष्ट्रीय वेतन बोर्ड भी समाप्त हो गया।

औद्योगिक सम्बन्ध कोड में वर्किंग जर्नलिस्ट्स का विवादास्पद समावेश

वर्किंग जर्नलिस्ट्स किसी भी ऐसे वक्रर की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिनमें मुख्य रूप से 'कुशल', 'अकुशल', 'मैनुअल', 'टेक्निकल', 'क्लेरिकल', 'सुपरवाइजरी' जैसे कार्य की विभिन्न श्रेणियां शामिल हैं। फिर भी, उन्हें सर्वग्राही औद्योगिक सम्बन्ध कोड में शामिल किया गया है। इसलिए, उन्हें पिछले दरवाजे के माध्यम से *'कर्मचारी'* की परिभाषा में शामिल किया गया है। आईआर कोड की धारा (2)(ज़ेड)(आर) में *'कर्मचारी'* की परिभाषा में *'वर्किंग जर्नलिस्ट्स के धारा 2 के खंड (एफ) और अन्य न्यूजपेपर एम्प्लॉइज (कंडीशंस ऑफ सर्विस) और विविध प्रावधान अधिनियम 1955* में वर्किंग जर्नलिस्ट्स की जो परिभाषा शामिल है।'

आई आर कोड में *'कर्मचारी'* की परिभाषा में वर्किंग जर्नलिस्ट को शामिल करना मीडिया उद्योग द्वारा बड़ी संख्या में मुकदमों को चुनौती देने के लिए बाध्य करना है क्योंकि समावेशन भ्रामक है। ओएसएच की संहिता द्वारा, वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट को निरस्त कर दिया गया है। आईआर कोड में निरस्त और अस्तित्वहीन अधिनियम से 'वर्किंग जर्नलिस्ट' की परिभाषा शामिल है।

वेतन कोड से वक्रिंग जर्नलिस्ट्स को निष्कासन

वेतन बोर्ड तो दूर की बात है। वर्किंग जर्नलिस्ट्स को तो वेतन कोड के माध्यम से अन्य वक्ररों को दिये गये वेतन संबंधी सभी लाभों से भी वंचित रखा गया है।

वेतन पर कोड में दो भिन्न परिभाषाएं हैं– एक 'कर्मचारी' की है दूसरी 'मजदूर' की। जहाँ अन्य सभी मजदूरों को दोनों परिभाषाओं में शामिल किया गया है, वंही वर्किंग जर्नलिस्टों और सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों को केवल 'मजदूर' की परिभाषा में शामिल किया गया हैं और 'कर्मचारी' की परिभाषा से बाहर रखा गया है। और, वेतन पर कोड केवल 'कर्मचारियों' पर लागू होता है, 'मजदूरों' पर नहीं।

उद्योग एवं क्षेत्र

विनिर्माण

विनिर्माण मजदूरों की कई दिनों की देशव्यापी हड़ताल की तैयारी

14–15 फरवरी, 2021 को हैदराबाद में सीटू के राष्ट्रीय सचिव एस. देवरॉय की अध्यक्षता में कंस्ट्रक्शन वर्क्रस फेडरेशन ऑफ इंडिया (सीडब्लयूएफआई) की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। वर्किंग कमेटी ने सीडब्लयूएफआई के दिवंगत नेताओं के.वी. जोस और सीलम सत्यम को श्रद्धांजलि अर्पित की। बैठक में एक समय सीमा के लिए *कार्रवाई कार्यक्रम* तय किया।

कार्यक्रम में पाँच राज्यों – केरल, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनाव के बाद विनिर्माण मजदूरों को विनिर्माण मजदूर एक्ट और अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूर एक्ट की प्रतिरक्षा में कई दिनों की देशव्यापी हड़ताल के लिए तैयार करना शामिल है।

अन्य कार्यक्रमों में: (1) विनिर्माण मजदूरों की लामबंदी और आम सभाऐं करते हुए 10 मार्च को किसान आंदोलन के समर्थन में एकजुटता दिवस मनाना; (2) पाँच राज्यों के आगामी चुनावों में भाजपा और अन्य दक्षिणपंथी दलों के उम्मीदवारों की हार निश्चित करने के लिए और वामपंथी, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष दलों के उम्मीदवारों के समर्थन में नुक्कड़ बैठकें करते हुए और विनिर्माण मजदूरों और उनके परिवारों के बीच जागरुकता लाने के लिए घर–घर अभियान आयोजित करना; (3) मजदूरों और जनता के कल्याण में एलडीएफ सरकार के योगदान पर सीडब्लयूएफआई द्वारा स्थानीय भाषाओं में प्रकाशित बुकलेट का देशभर में बड़े पैमाने पर वितरण करना; (4) बड़े पैमाने पर वितरण के लिए श्रम संहिताओं के प्रतिकूल प्रभाव पर पत्रक का प्रकाशन; और (5) प्रमुख कैडरों के लिए 2 दिन की राज्यानुसार ट्रेड यूनियन कक्षाएं आयोजित करना शामिल है।

वित्तीय क्षेत्र

निजीकरण की मुहिम

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने वित्त वर्ष 2021–22 के बजट प्रस्ताव में वित्तीय क्षेत्र से जुड़ी तीन अहम घोषणायें की।

1. बीमा क्षेत्र में एफडीआई 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत किया जाएगा और कुछ बचाव उपायों के साथ बीमा में विदेशी स्वामित्व की अनुमति होगी;
2. सरकार की एक सामान्य बीमा कम्पनी और सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंको के निजिकरण की योजना है।
3. सरकार इस वित्तीय वर्ष में एलआईसी आईपीओ लाएगी। इसके लिए एलआईसी एक्ट में आवश्यक संशोधनों को बजट प्रस्ताव के साथ वित्त विधेयक में सम्मिलित कर लिया गया है।

ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्पलाईज़ एसोसिएशन (एआईआईईए) ने तीनों प्रस्तावों का इस न्यायसंगत आधार पर विरोध किया है कि यह बीमा उद्योग, भारतीय अर्थव्यस्था और जनता में से किसी के भी हित में नहीं है।

बैंक कर्मचारियों की 15–16 मार्च को हड़ताल

सरकार की बैंको के निजिकरण के प्रस्ताव के खिलाफ बैंक क्षेत्र की सभी कर्मचारियों–मजदूरों और अधिकारियों की यूनियनों के संयुक्त मंच, यूनाइटेड फॉरम ऑफ बैंक यूनियन्स (यूएफबीयू), ने अभियान और अन्य विरोध कार्यक्रम करते हुए दो दिन 15–16 मार्च 2021 को हड़ताल की घोषणा की है।

बजट भाषण में, वित्त मंत्री ने बीपीसीएल, एअर इंडिया, भारतीय नौवहन निगम, भारतीय कंटेनर निगम, आईडीबीआई बैंक, बीईएमएल, के रणनीतिक विनिवेश के साथ साथ एक सामान्य बीमा कम्पनी और सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंको का

निजिकरण वित्त वर्ष 2021–22 के अंदर पूर्ण होने का प्रस्ताव रखा। बैंक कर्मचारियों ने इसका जवाब 4 फरवरी 2021 को यूएफबीयू के आह्वान पर देशभर में विरोध प्रदर्शन आयोजित कर दिया।

बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों–अधिकारियों की हड़ताल की तैयारी

बैंक ऑफ बड़ौदा प्रायोजित ग्रामीण बैंक यूनियनों के संयुक्त फोरम ने भारत सरकार, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) के अध्यक्ष को, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात तीनों में बीओबी– प्रायोजित ग्रामीण बैंकों में भर्ती प्रक्रिया को अचानक रोकने के विरोध में 1 मार्च से हड़ताल पर जाने का नोटिस दिया।

मौजूदा मानदंडों के अनुसार, 2020 के कारोबार के आधार पर, तीन ग्रामीण बैंकों के प्रबंधन ने आईबीपीएस को इंडेंट जारी किया। जब भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में थी, अचानक, जैसा कि बीओबी मुख्यालय द्वारा निर्देशित, तीनों ग्रामीण बैंकों के प्रबंधन ने भर्ती अधिकारियों को, इस तथ्य के बावजूद कि ये बैंक स्टाफ की कमी के कारण मुश्किलों का सामना कर रहा है, सभी भर्तियों को रोकने के लिए लिखा। भर्ती प्रक्रिया का ठहराव न केवल बीओबी प्रायोजित ग्रामीण बैंकों के खिलाफ भेदभावपूर्ण है; बल्कि यह युवाओं को रोजगार पाने से वंचित करेगा; और संयुक्त फोरम ने एक बयान में कहा है कि असहनीय काम का बोझ मौजूदा कर्मचारियों पर बढ़ जाएगा।

आईटी और आईटीईएस

एमएनसी आईटी कंपनियों ने घर से काम (डब्ल्यूएफएच) मॉडल में बढ़ाए काम के घंटे

सीटू की आईटी और आईटीईएस कर्मचारियों की यूनियनों की राष्ट्रीय समन्वय समिति ने 4 फरवरी 2021 को अपनी सभी इकाईयों को 12 फरवरी 2021 को विरोध प्रदर्शन का आयोजन करने और अगर अमेरिकन बहुराष्ट्रीय आईटी कम्पनी अपनी मनमर्जी से काम के घंटे बढ़ाती है तो कम्पनी प्रबंधन के विरोध में और संबंधित श्रम आयुक्त को उनके तुरंत हस्तक्षेप के लिए पत्र लिखने का आह्वान दिया।

कंपनियों ने 15 फरवरी, 2021 से कर्मचारियों का काम 1 घंटा बढ़ाकर प्रतिदिन, सामान्य ब्रेक से अलग, 9 घंटे कर दिया है। यह कंपनियां वैश्विक स्तर पर लगभग 2.8 लाख आईटी और आईटीईएस कर्मचारियों को नियुक्त करती हैं उनमें से बाकी देशों के मुकाबले भारतीयों की संख्या सबसे अधिक है। और इस बढ़ोतरी का सारा दोष मोदी सरकार के श्रम संहिताओं के मसौदा नियमों में आईटी और सेवा क्षेत्र के लिए **घर से काम** (डबलयूएफएच) **के मॉडल** को हरी झंडी देने को जाता है।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों की रिपोर्ट के अनुसार डबलयूएफएच मॉडल के चलते काम की क्षमता में बढ़ोतरी हुई है जबकि पूरे दिन काम और तनाव में बढ़ोतरी के कारण कर्मचारियों की कठिनाइयों में दुगुनी बढ़ोतरी हुई है। और काम की क्षमता की बढ़ोतरी को बनाए रखने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां कर्मचारियों और उनके परिवारों पर डबलयूएफएच मॉडल के बुरे असर को अनदेखा करते हुए उनपर काम के घंटों में मनमानी बढ़त थोप रही है।

पैट्रोल डीज़ल की कीमतें

जनवरी 2020 से जनवरी 2021

1. **क्रूड ऑयल की किमतों में गिरावट (–)14.0 प्रतिशत (63.65 डॉलर से 54.77 डॉलर प्रति बैरल)**
2. **देश अनुसार किमतों में गिरावट/बढ़ोत्तरी : चीन (–)1.4 प्रतिशत, अमेरिका (–)7.5 प्रतिशत, ब्राज़ील (–)20.6 प्रतिशत, इंग्लैंड (–)1.8 प्रतिशत और भारत (+)13.6 प्रतिशत**
3. **भारत – किमतों में उत्पाद शुल्क की वृद्धि : पैट्रोल – 26.6 प्रतिशत से 37.1 प्रतिशत; डीज़ल – 23.3 प्रतिशत से 40.1 प्रतिशत**

(स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस; 16.2.2021)

राज्यों से

आंध्र प्रदेश

मजदूरों और जनता का संघर्ष

विजाग इस्पात संयंत्र के निजिकरण के प्रयासों के खिलाफ संघर्ष

8 फरवरी 2021 को एक सार्वजनिक बयान में सीटू ने मजदूरों और जनता को सरकार के रणनीतिक व्यापार के माध्यम से विशाखापत्तनम स्टील प्लांट, आरआईएनएल के निजीकरण के विनाशकारी कदम का विरोध करने के लिए उनकी सामूहिक पहल के लिए बधाई दी।

बयान में सीटू ने सार्वजनिक क्षेत्र के आरआईएनएल का पक्ष लेते हुए संक्षेप में इसके योगदान और इसे स्थापित करने के लिए जनता के संघर्ष को दोहराते हुए कहा 'विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र, जनता के विशाखापत्तनम में एकीकृत स्टील प्लांट स्थापित करने के लगातार संघर्ष और आन्दोलन के बाद आया'।

शुरुआत से ही, पूरी परियोजना को निहित स्वार्थों के कारण कई कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन सभी को हराया जा सका और विजाग इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ और यह स्थिर हो गया। तब से आरआईएनएल ने अपनी परिचालन क्षमता में लगातार सुधार किया है और सफलतापूर्वक आधुनिकीकरण और विस्तार किया है और मजदूरों ने इस प्रक्रिया में एक अहम भूमिका निभाई है। आरआईएनएल लगातार काफी लंबे समय तक लाभांश और करों के रूप में राष्ट्रीय खजाने में योगदान देता आया है इसके अलावा बड़ी संख्या में लोगों को सीधे रोजगार प्रदान करने और सामुदायिक विकास दोनों में भी काफी योगदान दिया है। और इस तरह की चिन्हित उपलब्धि अधिग्रहित लौह–अयस्क/कोयला खदानों के अन्य एकीकृत स्टील प्लांटों के आवंटन की तरह आरआईएनएल को मिलने में कई तरीके से भेदभाव किए जाने के बावजूद बना सका है।

सीटू ने कहा 'विशाल क्षमता वाले इस तरह के कुशल इस्पात संयंत्र के निजीकरण का विचार राष्ट्रीय हितों के लिए विनाशकारी और दगाबाज रवैये का प्रतिबिंब है।'

जनता और विशाखापत्तनम के मजदूर वर्ग ने इस मामले में पूरे आंध्र प्रदेश के एकजुट होकर भाजपा सरकार की विनाशकारी और प्रतिगामी चाल को आन्दोलन कर तुरंत मुंहतोड़ जवाब देने और इस तरह के घोर इरादे को पूरा होने की इजाजत नहीं देने की सीटू ने प्रशंसा की। विजाग इस्पात संयंत्र के निजीकरण के खिलाफ आन्दोलन में सभी ट्रेड यूनियनों द्वारा और साथ ही आम जनता द्वारा भी बड़े पैमाने पर भाग लिया जा रहा है।

सीटू ने जनता और मजदूरों के ऐसे एकजुट संघर्ष, जो कि आरआईएनएल को निजी हाथों में सौंपने के नापाक कदम का विरोध करने के लिए है , के साथ एकजुटता जाहिर की और आम तौर पर विशाखापत्तनम में चल रहे संघर्ष के प्रति एकजुटता व्यक्त करने के लिए कामकाजी जनता का आह्वान करता है।

सीटू ने कहा, **हर जगह निजीकरण के कदम का विरोध किया जाना चाहिए और राष्ट्र और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए जनता की सामूहिक कार्रवाई और हस्तक्षेप के माध्यम से इसको लागू करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।**

कॉमरेड करीम का केन्द्रीय मंत्री को निजिकरण के विरोध में पत्र

फरवरी 2021 को, ई. करीम, सीटू के राष्ट्रीय सचिव और माकपा के राज्यसभा में नेता ने इस्पात के केन्द्रीय मंत्री ध र्मेन्द्र प्रधान को सरकार के विजाग इस्पात संयंत्र के निजिकरण के प्रयास का प्रतिरोध करते हुए लिखा।

करीम ने कहा 'इस तरह के अत्यधिक कुशल विकास की क्षमता वाले इस्पात संयंत्र के निजीकरण का विचार एक विवेकपूर्ण निर्णय नहीं है। और ना ही यह राष्ट्रीय हित में है।'

उन्होने आगे कहा 'आप निश्चित रुप से सरकार के रणनीतिक व्यापार के माध्यम से विशाखापत्तनम स्टील प्लांट, आरआईएनएल के निजीकरण के विनाशकारी फैसले से विशाखापटनम की आबादी या इस मामले में विजाग इस्पात संयंत्र के मजदूरों सहित पूरे आंध्र प्रदेश के बीच पनपी बेचैनी, जो कि इस पीएसयू को बचाने के लिए अनगिनत दृढ़ आंदोलनों में साफ झलकती है, से परिचित होंगे'।

कॉमरेड करीम ने समापन करते हुए कहा 'मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कृपया इस मुद्दे की गंभीरता और समाज और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन करें और उचित रूप से हस्तक्षेप करें ताकि आरआईएनएल का निजीकरण न हो और आरआईएनएल के पीएसयू दर्जे को कमजोर करने के लिए और कोई भी कदम ना उठाया जाए; मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया आरआईएनएल को मौजूदा कारकों से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों पर काबू पाने में मदद करें और अपनी बुनियादी कच्चे माल की आवश्यकता को आर्थिक रूप से और अधिक कुशलता से पूरा करने के लिए इसे अधिकृत लौह–अयस्क की खदानें और कोयले की खानें आवंटित करें।

अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता

नेशनलिस्ट वर्कर्स' कमिटी (एलएबी), डबलयूएफटीयू से संबद्ध, बास्क देश की ट्रेड यूनियन ने 9 फरवरी 2021 को अपने डिजिटल प्रकाशन के माध्यम से, विशाखापटनम, भारत में विजाग संयंत्र के निजिकरण के प्रयास का विरोध और संघर्ष कर रहे मजदूरों और सीटू, जिसका संबंद्ध भी डबलयूएफटीयू से है, को एकजुटता संदेश भेजा है। इसने कहा 'सबसे पहले हम मजदूरों पर उपर्युक्त कम्पनी के निजिकरण, जिसका अर्थ मजदूरों के 'श्रम अधिकारों' पर एक गंभीर हमला है, के द्वारा लाई इस आपदा के लिए भारत सरकार की निंदा करते हैं।'

ओडिशा

एनटीपीसी के तलचर बिजली संयंत्र को बंद करने की कोशिश

एनटीपीसी के तलचर थर्मल पावर स्टेशन (टीटीपीएस) ओडिशा में सीटू, इंटक, एचएमएस और अन्य यूनियनों के श्रमिक एकता मंच ने 8 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री को अपने संयुक्त ज्ञापन के माध्यम से संयंत्र को बंद करने के गुप–चुप, अवैध और अन्यायपूर्ण प्रयास का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि संयंत्र के प्रबंधन ने टीटीपीएस के प्रस्तावित बंद के बारे में ईमेल के माध्यम से अपने अधिकारियों को सूचित किया, जबकि आई.डी. एक्ट के तहत आवश्यकतानुसार काम करने वाले प्रतिनिधियों को प्रतियां देने के लिए उपयुक्त सरकार से पूर्व अनुमोदन लेने के लिए ऐसा कोई आवेदन नहीं किया गया था। टीटीपीएस में 200 नियमित और 2000 संविदा कर्मचारी हैं। ज्ञापन में आगे कहा गया कि 1964 में टीटीपीएस का उद्घाटन किया गया था, 1968 में बिजली का उत्पादन शुरू किया और पूरे ओडिशा राज्य को निरंतर और निर्बाध सेवा देता आ रहा है। ओडिशा में हजारों बड़े और छोटे उद्योग बिजली आपूर्ति के लिए इस पर निर्भर हैं। समय के साथ, टीटीपीएस ने आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक स्थिरता में अपनी उत्कृष्टता साबित की है।

दिल्ली-एनसीआर

श्रम संहिताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन

04 फरवरी 2021 को केन्द्रीय श्रम संहिताओं के खिलाफ तथा अन्य माँगों के लिए, सीटू दिल्ली राज्य कमेटी के नेतृत्व में, आईटीओ के शहीद भगत सिंह पार्क से दिल्ली सरकार सचिवालय तक जुलूस में औद्योगिक मजदूरों, डीजेबी और डीबीसी कर्मचारियों, रेहड़ी–पटरी विक्रेताओं और विनिर्माण सहित सैकड़ों मजदूरों कर्मचारियों ने भाग लिया। जिसका सीटू दिल्ली के महासचिव अनुराग सक्सेना की अध्यक्षता में सार्वजनिक बैठक में समापन हुआ जिसे सीटू अखिल भारतीय कोषाध्यक्ष एमएल मलकोटिया और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र गौड़ और यूनियनों के नेताओं द्वारा संबोधित किया गया।

बाद में, एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली सरकार को ज्ञापन सौंपकर दिल्ली सरकार से दिल्ली राज्य में श्रम संहिता को लागू ना करने और मजदूरों के ज्वलंत मुद्दों के समाधान के लिए सक्रिय कदम उठाने की माँग की।

किसान आन्दोलन का समर्थन करने पर ट्रेड यूनियन नेताओं की गिरफ्तारी

केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों की दिल्ली इकाईयों ने 11 फरवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री को एक संयुक्त पत्र में दिल्ली में ट्रेड यूनियन नेताओं पर पुलिस अत्याचारों के खिलाफ विरोध जाहिर किया।

'डेल्ही फॉर फार्मर्स' और ट्रेड यूनियनों ने संयुक्त रुप से 6 फरवरी को शहीद भगत सिंह पार्क, नई दिल्ली में किसानों के उस दिन के देशव्यापी '*चक्का जाम*' के साथ एकजुटता जताने के लिए शांतिपूर्ण सार्वजनिक बैठक का आह्वान किया था। और दिल्ली को इस चक्का जाम कार्यक्रम से बाहर रखा गया था। सार्वजनिक बैठक करने की अनुमति के लिए पुलिस को एक आवेदन दिया था।

इसके विपरित, केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत दिल्ली पुलिस ने, आपातकाल के दिनों की तरह, सुबह सुबह ट्रेड यूनियन नेताओं के घरों पर धावा बोला और उन्हें पुलिस हिरासत, घर में नजरबंद और निवारक नजरबंदी के नाम पर दफ्तरों में कैद में रोके रखा।

रोकथामी हिरासत में रखे गये नेताओं में सीटू के दिल्ली राज्य अध्यक्ष विरेंद्र गौड़, इसके उत्तरी जिले के नेता विपन कुमार, एआईयूटीयूसी के राज्य सचिव मैनेजर चौरसिया, आईएफटीयू राज्य अध्यक्ष अनिमेश दास, सेवा की नेता लता को उनके पति के साथ, एक्टू दिल्ली सचिव सूर्या प्रकाश, महिला संगठन पीएमएस सचिव पूनम कौशिक शामिल है।

तमिलनाडु

आँगनवाड़ी कर्मचारियों की तीन चरण की कार्रवाई

तमिलनाडु आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन (सीटू) ने अपनी माँगों के घोषणापत्र को आगे बढ़ाने के लिए तीन चरण की कार्रवाई 22 जनवरी को इसके पहले चरण सीडीपीओ कार्यालयों के सामने प्रदर्शनों, जिसमें 30 जिलों के 329 से अधिक ब्लॉकों में लगभग 35,800 आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने भाग लिया, से शुरू की; इसके दूसरे चरण में 29 जनवरी को 30 जिलों में लगभग 22,000 कर्मचारियों ने परियोजना कार्यालयों के सामने प्रदर्शन किया। तीसरे चरण में, 30 जिलों के 30,000 से अधिक कर्मचारियों ने चेन्नई में परियोजना निदेशक कार्यालय के सामने प्रदर्शनों को आयोजित किया, जिसमें सीटू राज्य महासचिव जी. सुकुमारन, राज्य कोषाध्यक्ष मालथी चिट्टिबाबू और यूनियन के महासचिव टी. डेजी और अध्यक्ष रथ्नमाला सहित अन्य शामिल थे।

यूनियन नेताओं और विभाग के अधिकारियों के बीच अनुकूल फैसले का आश्वासन देते हुए मुख्यमंत्री को माँगपत्र भेजने को लेकर वार्ता हुई।

संसद में

मेजर पोर्ट अथॉरिटीज़ बिल 2020

राज्यसभा में बिल के पुरजोर विरोध में करीम का भाषण

निजिकरण और बंदरगाहों की संपत्ति सौंपने के कदम

'सबसे पहले, मैं इस बिल पर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराना चाहता हूँ।'

'प्रस्तावित मेजर पोर्ट अथॉरिटीज़ बिल, 2020 और कुछ नहीं बस बंदरगाहों को कॉरपोरेट उद्यमों में तब्दील करने का प्रयास है। यह कॉरपोरेट/बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा बहुत ही सस्ते दामों पर इसकी विशाल जमीन और अन्य सम्पदा सहित बंदरगाहों के अधिग्रहण का रास्ता आसान करेगा।

'इसका गंभीर प्रभाव केवल व्यापार पर ही नहीं बल्कि लाखों लोगों के लिए रोजगाार के अवसरों के बड़े नुक्सान के रुप में भी होगा। अत्यधिक सार्वजनिक निवेश वाले पोर्ट ट्रस्ट की भूमि और बुनियादी ढाँचा निजी हाथों में स्थानांतरित कर दिया जायेगा। पोर्ट ट्रस्ट, पोर्ट अथॉरिटी बनने के साथ, पोर्टस् 'लैंडलॉर्ड' मॉडल में तब्दील हो जायेंगे, जिससे उन सभी मुख्य गतिविधियों को आउटसोर्स करना आसान हो जाएगा जो अभी सीधे पोर्ट से की जाती हैं। "जमीन और अन्य संपत्तियों का हस्तांतरण भी तेज किया जाएगा।

'बिल में कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों की सुरक्षा के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं हैं। इसमें ऐसे प्रावधान हैं, जो प्राधिकरण बोर्ड के यूनियन प्रतिनिधियों के रूप में मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों को दरकिनार करते हुए सरकार के पसंदीदा व्यक्तियों को सदस्य चुनें जाने की अनुमति देते हैं। यह बहुत गंभीर है और सरकार को इस तरह के कदम से पीछे हटना चाहिए। विधेयक का खंड 53 पोर्ट अथॉरिटी के लिए एक कम्पनी बनना आसान बनाता है और इस तरह इसके जरिये से केंद्र सरकार द्वारा अत्यधिक शक्तियों का उपयोग करके एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से निजीकरण को पूरा करता है। प्रस्तावित विधेयक केवल एक अंतरिम व्यवस्था है क्योंकि यह निश्चित रूप से रूपांतरण की ओर ले जाएगा बाद के चरण में बंदरगाहों का 'प्राधिकरण' और अंततः निजीकरण हो जाएगा। विधेयक के खंड संख्या 33 और 53 (1) और (2) में इसके लिए प्रावधान हैं।'

राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा

"चूंकि मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 पहले से ही एक अद्वितीय अधिनियमन है, इसलिए इस एक्ट को निरस्त करने और मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल 2020 को लागू करने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसे में यदि पोर्ट ट्रस्ट को अधिक कार्यात्मक स्वायत्तता और वित्तीय शक्तियां देना जरुरी ही है, तो उपयुक्त और उचित संशोधन एमपीटी एक्ट 1963 के प्रासंगिक खंड में किए जा सकते हैं। लेकिन सरकार इस नए बिल के साथ आई है जिसके माध्यम से यह निजीकरण को आसानी से चालू कर सकती है। यदि प्रस्तावित विधेयक वर्तमान स्वरूप में एक एक्ट बन जाता है तो राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी।

'संसदीय स्थायी समिति के अनुसार, जो कहती है कि, 'समिति ने ध्यान दिया है कि सरकार बंदरगाहों में निवेशकों को आकर्षित करने का इरादा रखती है। हालांकि, कोचीन, विशाखापत्तनम, मुंबई और गोवा जैसे बंदरगाह प्रतिरक्षा कार्गो को भी संभाल रहे हैं। यदि निजी संचालकों को ऐसे गोपनीय कार्गो को चलाने का अधिकार दिया जाता है, तो इसके विवरण के राष्ट्र–विरोधी तत्वों तक

प्रकाशित होने की संभावना है। समिति का सुझाव है कि बंदरगाह से जुड़ी गतिविधियों को निजी ऑपरेटरों को सौंपते समय, राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा पहलुओं पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। (पैराः 235)

'स्थायी समिति ने यह भी सिफारिश की है कि मंत्रालय को पहले 'पोर्ट के निजीकरण' के मुद्दे पर हितधारकों की आशंकाओं को दूर करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पोर्ट का प्रशासनिक, प्रबंधकीय और वित्तीय नियंत्रण पोर्ट प्रबंधन के पास रहेगा। मैं माननीय मंत्री जी से सुनना चाहूँगा कि क्या सरकार ने स्थायी समिति द्वारा इन सिफारिशों और टिप्पणियों पर विचार किया हैं? विधेयक को देखते हुए यह स्पष्ट है कि सरकार ने न तो समिति की सिफारिशों पर ध्यान दिया है और ना ही हितधारकों द्वारा उठाई गई चिंताओं पर।'

पूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन

'यह ध्यान देना उचित है कि, प्रस्तावित मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल 2020 का मूल उद्देश्य इसकी मौजूदा 'संरचना' को 'मेजर पोर्ट ट्रस्टस्' से 'मेजर पोर्ट अथॉरिटीज' में बदलना है, जो मुझे लगता है कि प्रमुख बंदरगाहों के प्रबंधन में अधिक स्वायत्तता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के बहाने देश के प्रमुख बंदरगाहों के निजीकरण के लिए पहला कदम होगा। मैं सरकार के तर्कों और दावों से पूरी तरह असहमत हूं क्योंकि मेजर पोर्टस् एक्ट 1963 पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड को पोर्टस् को कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए अधिकार प्रदान करता है और इसमें उपकरण एवं अतिरिक्त बुनियादी ढाँचे की खरीद के लिए पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं और बोर्ड को पोर्ट प्रबंधन और प्रशासन के लिए अधिकार प्राप्त है। मेजर पोर्टस् के मुख्य कार्य कार्गो संभालना हैं; निर्यात के लिए जहाजों पर कार्गो लादना और आयात द्वारा लाए गए कार्गो को उतारना। कुछ कार्गो पोर्टस् आंतरिक माल परिवहन के लिए अपनी स्वयं की रेलवे सेवाओं को बनाए रखते हैं। इसके अलावा, प्रमुख पोर्टस् भारतीय नौसेना को विभिन्न मायनों में सहायता प्रदान करते हैं। मेजर पोर्टस् को रक्षा की दूसरी कड़ी के रूप में वर्णित किया गया है। इसलिए, पोर्ट सेक्टर में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक और राष्ट्रीय हित के लिए नुक्सानदेह है। पोर्ट सेक्टर पर पिछली संसदीय स्थायी समितियों की विभिन्न महत्वपूर्ण और रणनीतिक सिफारिशों पर केंद्र सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया गया हैं। नतीजतन, विभिन्न प्रमुख पोर्टस् का मूल अस्तित्व दांव पर है। नए विकसित/विकासशील निजी पोर्टस् में से कई को बुनियादी सुविधाओं जैसे सड़क, रेल कनेक्टिविटी, डीप ड्राफ्ट चैनल आदि प्रदान करने के लिए भारी धनराशि के साथ निवेश किया जाता है। एक बार प्रस्तावित विधेयक के एक्ट बन जाने के बाद, पोर्ट 'पोर्ट ट्रस्ट' के रूप में अपना दर्जा खो देगा और 'पोर्ट अथॉरिटी' बन जाएगा। इतना प्रतिनिधित्विक होने और व्यापार, सरकार और श्रम सहित गहरी रुचि लेने के लिए बोर्ड को भी भंग कर दिया जायेगा।

अगुआ – केन्द्रीय बजट 2021–22

'श्रीमान, इस सरकार के बाकी सभी कानूनों की तरह ही यह बिल भी कारपोरेट्स को खुश करने का एक साधन है। इस सरकार का बस एक उद्देश्य है सार्वजनिक सम्पदा का निजिकरण। कल पेश किया गया केन्द्रीय बजट भी इस दिशा में एक कदम है। इस बिल में भी यह साफ है कि सरकार की मंशा परिसंपत्ति के निजिकरण और इसे कॉरपोरेटों व बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बेचने की है। इसलिए मैं इस बिल पर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराना चाहता हूँ और सरकार से इस बिल पर पुनर्विचार की गुहार लगाना चाहता हूँ।'

(ई. करीम, सीटू राष्ट्रीय सचिव, इसके केरल राज्य महासचिव और राज्यसभा में माकपा के नेता हैं)

साम्प्रदायिकता के खिलाफ सांसद

सांसदों की वकीलों के यहाँ छापेमारी पर दिल्ली पुलिस के खिलाफ कार्यवाही की माँग

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट महमूद प्राचा के दफ्तर पर दिल्ली पुलिस के छापे और दस्तावेजों की जब्ती के खिलाफ विपक्षी सांसदों ने प्रधानमंत्री को एक संयुक्त पत्र में विरोध व्यक्त किया। एडवोकेट महमूद दिल्ली दंगों के दौरान साम्प्रदायिक हिंसा के पीड़ितों के कईं मामलों में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सांसदों ने प्रधानमंत्री से संबंधित दिल्ली पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की माँग की।

पत्र के हस्ताक्षरकर्ताओं में माकपा के एलामरम करीम और बिकाश रंजन भट्टाचार्य; भाकपा के बिनॉय विस्वम; कांग्रेस के सैयद नासिर हुसैन, अखिलेश प्रसाद सिंह और शक्तिसिंह गोहिल; डीएमके के तिरुचि शिवा, एन.आर. एलंगो, एम. शनमुगम और पी. विल्सन; और राजद के मनोज झा शामिल हैं।

मजदूर—किसान एकता

किसानों का संघर्ष – पूरे भारत में पूर्ण *'रेल रोको'*

जैसा कि 18 फरवरी को हजारों किसानों, मजदूरों और अन्य सभी मेहनतकश वर्गों ने एसकेएम (संयुक्त किसान मोर्चा) के आह्वान की प्रतिक्रिया में रेल रोकने का का काम किया। रेल आंदोलन 4 घंटे, 12 से 4 (दिन के समय), के लिए चला।

एआईकेएस ने अपने एक बयान में प्रदर्शनकारियों को पूरे भारत में सफल कार्रवाई के लिए बधाई दीं। कार्रवाई पूरे देश में शांतिपूर्ण और बड़े पैमाने पर थी। विशेषकर हरियाणा, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान में महिलाओं की भागीदारी ध्यान देने योग्य है।

देर दोपहर तक पश्चिम बंगाल के 77, झारखंड में 65, तेलंगाना में 55, ओडिशा में 30, आंध्र प्रदेश में 23, राजस्थान में 21, मध्य प्रदेश में 11, कर्नाटक में 9, त्रिपुरा में 5, और महाराष्ट्र में 5 स्टेशनों से सफल रेल रोको की रिपोर्ट आई है। केरल में, 14 जिलों में केंद्र सरकार के कार्यालयों के सामने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए गए।

एआईकेएस के राष्ट्रीय सहसचिव बादल सरोज सहित 100 कार्यकर्ताओं को ग्वालियर में मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। बेतिया में एआईकेएस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष लल्लन चौधरी सहित; कर्नाटक के कोलार जिले के बंगारपेट में; तेलंगाना में एआईकेएस के राज्य सचिव टी. सागर सहित 500 किसान; की गिरफ्तारियों की सूचना आई हैं। एआईकेएस ने इन गिरफ्तारियों की कड़ी निंदा की। *(19.2.2021)*

किसान आंदोलन के साथ एकजुटता में डब्लयूएफटीयू

वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस (डब्ल्यूएफटीयू), आईएलओ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक विभाग के निदेशक के साथ 5 फरवरी 2021 को अपनी बातचीत में; आईएलओ कन्वेंशन सी011, सी098, सी141 और सी144 के उल्लंघन के लिए भारत सरकार के खिलाफ विरोध जाहिर किया। भारत सरकार द्वारा इन कन्वेंशनों को स्वीकार किया गया है, जो कि फंडामेंटल कन्वेंशन 98 का संगठित होने और सामूहिक समझौते के अधिकार का कन्वेंशन, 1949 सहित इन प्रोटोकॉल के हस्ताक्षरकर्ता हैं।

डब्ल्यूएफटीयू ने भारत सरकार की तानाशाही और इसके किसानों, जो तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने की माँग कर रहे हैं, के साथ दुर्व्यव्हार के खिलाफ भी विरोध दर्ज किया।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर लगातार सैकड़ों हजारों की तादाद में किसानों का संघर्ष 70 दिनों से चल रहा है; और पूरे भारत में विरोध और प्रदर्शन हो रहे हैं। डब्ल्यूएफटीयू ने लिखा है कि अनुसंधित आईएलओ कन्वेंशनों के अनुसार प्रभावी परामर्श सुनिश्चित करने के बजाय, भारत सरकार सीमाओं पर बैठे अपने ही किसानों को दुश्मन मान रही है।

डब्ल्यूएफटीयू ने भारतीय किसानों के न्यायपूर्ण संघर्ष के क्रूर दमन की कड़ी निंदा की और दिल्ली पुलिस के उत्तेजक कृत्यों, मानहानि और अमानवीय कदमों की, पानी और बिजली में कटौती, इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाने और यहाँ तक कि किसानों को शौचालय और स्वच्छता सुविधाओं तक की पहुँच से वंचित करने की निंदा की; और कानून और व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर दिल्ली पुलिस द्वारा इन सभी अस्वीकार्य प्रथाओं को तुरंत समाप्त करने की माँग की।

डब्ल्यूएफटीयू ने आईएलओ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से किसानों और सरकार के बीच प्रभावी परामर्श सुनिश्चित करने, उल्लंघन को समाप्त करने और आईएलओ कन्वेंशनों और भारत के संविधान और कानून के अनुसार किसानों के मौलिक अधिकारों को कायम रखने के लिए इन मामलों में तुरंत कार्रवाई और ठोस उपाय करने की माँग की।

ऐतिहासिक किसान आंदोलन के साथ हरियाणा में सीटू

जय भगवान

किसान आंदोलन सरकार द्वारा खड़ी की जा रही हर चुनौती का सामना करते हुए हर दिन नया इतिहास रच रहा है। हरियाणा में सीटू ने सदी के इस किसान आंदोलन में मजदूरों की बढ़ती भागीदारी सुनिश्चित की है।

सरकार के हमले और उनका प्रतिरोध

26 जनवरी की लाल किले की घटना का लाभ उठाते हुए, 28 जनवरी को खट्टर सरकार की पुलिस ने टोल संग्रह केंद्रों पर मजदूरों और किसानों के अनिश्चितकालीन धरनों पर हमला किया; 6 टोल संग्रह केंद्रों पर जबरन धरनों को हटाया और फिर से टोल संग्रह शुरू कर दिया; पानीपत और करनाल टोल केंद्रों सहित विभिन्न स्थानों पर लंगरों को जबरन बंद कर दिया गया; पलवल बॉर्डर पर किसानों की 'दिल्ली नाकाबंदी' को जबरन हटाया गया।

हालांकि, सीटू और अन्य मजदूर और किसान संगठनों ने बड़ी संख्या में लोगों को टोल संग्रह केंद्रों पर जुटाया; और, उसी दिन देर शाम तक स्थिति बदल गई। उसी रात को गाजीपुर, टिकरी और सिंघू बॉर्डरों पर किसानों के हजारों ट्रैक्टरों के काफिले पहुँचने शुरू हो गए; किसान बड़ी संख्या में शामिल हुए, महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। टोल संग्रह केंद्रों पर स्थिति बहाल और सरकार पीछे हट गई; पलवल में किसानों की एक विशाल महापंचायत का आयोजन किया गया और 1 फरवरी से प्रदर्शनकारियों ने पलवल बॉर्डर विरोध स्थल को फिर से खड़ा कर लिया।

आंदोलन की गति में अचानक बदलाव को देखकर, हरियाणा में भाजपा सरकार इतनी भयभीत हो गई कि उसने किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए गाजीपुर में बैरिकेड्स की 12–परतें, टिकरी में 7 और कुंडली बॉर्डरों पर 4 परतें खड़ी कर दीं; अपने देशवासियों के खिलाफ कंक्रीट की दीवारों का निर्माण किया गया; और 17 जिलों में 29 जनवरी से इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं निलंबित कर दी गईं।

इन सब हथकंडों के बावजूद, आंदोलन विस्तार ले रहा है और इसमें किसानों और आम जनता की हिस्सेदारी भी बढ़ रही है। सीटू ने किसान आंदोलन के साथ एकजुटता में, कैबिनेट मंत्रियों और सरकार के उच्च अधिकारियों के घेराव का कार्यक्रम शुरू किया।

उपायुक्तों का घेराव – सीटू और सर्व कर्मचारी संघ ने 18 जनवरी को संयुक्त रुप से सभी 22 जिलों में उपायुक्त अधिकारियों का सफलतापूर्वक घेराव किया। जिसमें यमुनानगर, गुरुग्राम, जींद, हिसार और पंचकुला जिलों में बड़ी संख्या के साथ 22,660 से अधिक मजदूरों और कर्मचारियों ने भाग लिया।

गणतंत्र दिवस परेडें – गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी, पर मजदूरों ने सभी 22 जिलों में दुपहिया वाहन रैलियां और पदयात्राएं निकालीं। जो किसान दिल्ली बॉर्डरों पर ट्रैक्टर रैलियों में भाग नहीं ले सके उन्होनें भी जिलों में मजदूरों की इन रैलियों में भाग लिया। इन रैलियों में महिला मजदूरों और महिला किसानों की बड़ी संख्या ने भाग लिया।

कैबिनेट मंत्रियों के घेराव का कार्यक्रम – हरियाणा राज्य सीटू ने फरवरी में विभिन्न तिथियों पर 8 केंद्रों पर मुख्यमंत्री सहित कैबिनेट मंत्रियों के घेराव की योजना बनाई थी। इनमें 14 फरवरी को करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, 7 फरवरी को उचाना में और 12 फरवरी को सिरसा में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, भिवानी में कृषि मंत्री जे पी दलाल; कैथल में महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढाँडा; 13 फरवरी को यमुनानगर में शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर, 16 फरवरी को परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और गुड़गांव में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत शामिल हैं।

इस उद्देश्य से 22 जिलों को घेराव के 8 केंद्रों के लिए 8 क्षेत्रों में बांटा गया था। एक महीने का जत्था अभियान शुरू किया गया है जिसमें सभी सीटू यूनियनों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। जत्था अभियान 1 फरवरी से शुरू हुआ जिसमें बड़ी संख्या में गाँवों में मजदूरों और किसानों की सभाओं को संबोधित किया गया।

(18.02.2021)(जय भगवान सीटू हरियाणा राज्य के महासचिव हैं)

किसान–प्रदर्शनकारियों के साथ शाहजहाँपुर बॉर्डर पर

सयांती सेनगुप्ता

एक टीम, जिसमें बिकासरंजन भट्टाचार्य, सांसद एवं ऑल इण्डिया लॉयर्स यूनियन (एआईएलयू) के अध्यक्ष; सीटू के राष्ट्रीय नेता जे.एस. मजूमदार और आर. करुमलैयन; और बिकास भट्टाचार्य के सहयोगी कोलकाता हाईकोर्ट के दो युवा वकील, जमीर और मैं स्वयं शामिल हैं; 11 फरवरी, 2021 को किसानों की माँगों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करने और उनके आन्दोलन के प्रति एकजुटता जाहिर करने के लिए उनके दिल्ली–जयपुर हाईवे के शाहजहाँपुर बॉर्डर स्थित धरना स्थल पर पहुँचे।

राजस्थान बॉर्डर राजमार्ग पर दिन–रात अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में सड़क, ट्रेलर, ट्रॉलियों और ट्रैक्टरों पर किसानों के शिविर, दिल्ली की ओर एक किलोमीटर तक फैले हुए हैं। हरियाणा की तरफ, भारी सशस्त्र पुलिस की बड़ी टुकड़ी दिल्ली की तरफ की नाकाबंदी की सुरक्षा कर रही थी और किसानों के शांतिपूर्ण विरोध के खिलाफ राज्य की शक्ति का प्रदर्शन करते हुए राजमार्ग के दूसरी तरफ से काम कर रही थी।

शाहजहाँपुर धरना स्थल पर, अखिल भारतीय किसान सभा (एआईकेएस) द्वारा राजस्थान के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में किसानों को लामबंद किया गया है। किसान प्रत्येक दिन, कुछ बारी–बारी से, शामिल हो रहे हैं। जब हम बॉर्डर पर पहुँचे, तब एआईकेएस अपनी राज्य कमेटी की बैठक भी बॉर्डर पर ही कर रहा था।

युवाओं की भागीदारी उल्लेखनीय है – चिकित्सा षिविरों के आयोजन से लेकर राशन, खाते रखने और सबसे महत्वपूर्ण रूप से दैनिक बैठकों के आयोजन ने हमें सामूहिक ताकत का सही अर्थ दिखाया है। जिस दिन हम पहुँचे, दोपहर के भोजन के बाद की जनसभा शुरू हुई, जिसे अतिथि वक्ताओं के रूप में बिकासरंजन भट्टाचार्य और जे एस मजूमदार ने संबोधित किया। जे एस मजूमदार ने सरकार की किसान विरोधी नीतियों और ट्रैक्टर चालकों की ट्रेड यूनियनों द्वारा 26 जनवरी को कई स्थानों पर ट्रैक्टर रैलियों सहित देश भर में ट्रेड यूनियन एकजुटता कार्यक्रमों पर बात की।

बिकासरंजन भट्टाचार्य ने जिस तरह सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से लेकर प्रधानमंत्री को खुला पत्र लिखकर, संसद में सवाल उठाते हुए, 26 जनवरी 2021 को किसानों के साथ भाग लेकर और अब शाहजहाँपुर सीमा पर प्रदर्शनकारियों से मिलकर किसानों के प्रति एकजुटता व्यक्त की इस पर बात की।

महिलाओं की भागीदारी

मोदी सरकार ने महिलाओं की आवाज को दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन शाहीन बाग में महिलाओं के नेतृत्व वाले विरोध ने महिलाओं को साहस और ताकत के साथ, साहस और संघर्श करने का रास्ता दिखाया। शाहजहाँपुर बॉर्डर पर भी यही जोश दिखाई दे रहा था। मैंने कई महिला किसान–प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत की।

ग्रामीण भारत की महिलाएं खेतों में श्रम के रूप में और साथ ही घरेलू काम करके और परिवार की देखभाल करके अप्रत्यक्ष रूप से भी कृषि उत्पादन की दिशा में योगदान करती हैं। महिलाएं भी खेती में, खाना पकाने और किसानों की देखभाल कर सक्रिय रूप से भाग लेती हैं।

धरना स्थल पर एक समान परिदृश्य दिखाई दे रहा था। महिला प्रदर्शनकारी सक्रिय रूप से बैठकों में भाग ले रही थीं, प्रदर्शनकारियों और यहाँ तक कि आगंतुकों के लिए खाना पका और वितरित कर रही थीं। टीम ने एक वकील एवं कार्यकर्ता निशा सिद्धू से मुलाकात की, जो किसान सभा की सक्रिय सदस्य हैं। वह लंबे समय से महिलाओं और मजदूरों को लेकर काम कर रही हैं।

प्रदर्शनकारी विविध क्षेत्रों से हैं, लेकिन मजबूत एकता और मानव संसाधन को बनाए रखा है। जब वर्तमान सरकार ने जानबूझकर महिलाओं की आवाज को मान्यता देने से इनकार कर दिया, तो प्रदर्शनकारी किसानों ने कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका का सम्मान करने के लिए 18 जनवरी 2021 को पूरे भारत में और दिल्ली के बॉर्डरों पर महिला किसान दिवस

मनाया। जब मैंने निशा सिद्धू के साथ बातचीत की, तो हमें पता चला कि हालांकि वह पेशे से वकील हैं, पर उनका परिवार कृशि से जुड़ा हुआ है और वह शुरू से ही इस आन्दोलन में शामिल हो गई हैं और उन्होंने पूरा समय आन्दोलन के लिए समर्पित करने का फैसला किया है जब तक कि कृषि कानून सरकार द्वारा निरस्त नहीं होते हैं।

बिकासरंजन भट्टाचार्य ने विभिन्न अवसरों पर प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की और एक सार्वजनिक बैठक में कहा, "महिला प्रदर्शनकारियों ने मुझे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी मातंगिनी हाजरा द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में याद दिलाया है। वर्तमान किसानों का विरोध इस फासीवादी और कॉरपोरेट–समर्थक भाजपानीत सरकार के खिलाफ संघर्ष करने का रास्ता भी दिखाता है।" उन्होने आगे कहा "जब नए कृषि कानूनों के खिलाफ संसद में सवाल उठाए जा रहे हैं, तो भाजपा सांसदों का जवाब है कि किसानों को विरोध करने के लिए गुमराह किया जा रहा है। मंत्रियों को यह महसूस करने में बहुत समय लगता है कि किसान काफी बुद्धिमान हैं और संसद में बैठे किसी भी मंत्री से अधिक संवैधानिक प्रावधानों से अवगत हैं।"

कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। भारतीय आबादी का लगभग 60 प्रतिशत कृषि उत्पादन करता है और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 18 प्रतिशत योगदान देता है। इन वर्षों में यह क्षेत्र भू–स्वामित्व में परिवर्तन, खेती की बढ़ती लागत, जलवायु परिवर्तन, सार्वजनिक निवेष में गिरावट, कृषि गतिविधियों के वैयक्तिकरण, ऋण जाल में फँसे किसानों के लिए कृषि उत्पादों का कोई वास्तविक पारिश्रमिक मूल्य नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में आत्महत्या के चलते उलझ गया। इसलिए, पूरे देश में सभी कृषि उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की तत्काल माँग को शानदार प्रतिक्रिया मिली।

किसानों की दुर्दशा को तीन कृषि कानूनों ने बढ़ा दिया जैसा कि भाजपानीत सरकार ने संसद में किसी भी चर्चा को दरकिनार किया। एमएसपी सुनिश्चित करने के बजाय, तीन कृषि कानूनों ने कॉरपोरेटस् के कृषि–भूमि उपयोग पर नियंत्रण के लिए रास्ता बनाया है; कृषि उपज का अखिल भारतीय बाजार और कॉरपोरेटस् के लाभ और किसानों को नष्ट करने लिए के असमान सौदेबाजी लेकर आये हैं।

जबकि किसानों का विरोध कोई नई बात नहीं है, लेकिन वर्तमान में युवाओं, महिलाओं और बच्चों की भारी भागीदारी के साथ इसे गति मिली है। हर धरना स्थल पर किसानों के विरोध ने अद्वितीय सामुदायिक समर्थन और कई प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों, समूहों, संगठनों आदि का समर्थन प्राप्त किया है।

जबकि प्रधान मंत्री ने उन्हें 'अंदोलनजीवी' के रूप में कलंकित करने का प्रयास किया; पानी में डूबे हुए टेंट, भीगी हुई लकड़ी और कंबल, कड़कड़ाती ठंड, किसानों की मौतें – कुछ भी दृढ़ किसान–प्रदर्शनकारियों को डिगा नहीं सका। जैसा कि लोकतंत्र दांव पर है, भाजपानीत इस फासीवादी सरकार से आजादी हासिल करने का एकमात्र विकल्प 'आंदोलन' है।

बांटने का प्रयास

अपने संसदीय भाषण में, पीएम ने तीन कृषि कानूनों को छोटे किसानों के लिए फायदेमंद बताया। इस बार इस तरह के 'फूट डालो–शासन करो' की रणनीति से सरकार को फायदा नहीं मिला। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई के अपने संकल्प में किसानों के सभी वर्ग एकजुट हैं। वे जानते हैं कि इन कृषि कानूनों को लागू करके खेत–मजदूरों सहित किसानों के सभी तबकों को लक्षित किया गया है। व्यावसायीकरण उच्च प्रौद्योगिकियों के साथ आता है जिससे अधिकांश खेत मजदूरों की बेरोजगारी बढ़ जाएगी। कानून सरकार की मूल्य गारंटी प्रणाली को कमजोर करके छोटे और गरीब किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं, जो इस क्षेत्र में 80 प्रतिशत हैं, उनमें से 23 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। ये बदलाव छोटे किसानों को सबसे ज्यादा प्रभावित करेंगे क्योंकि उनका कम उत्पादन उन्हें किसी सौदेबाजी की शक्ति नहीं देता है।

प्रदर्शनकारी तब तक इस संघर्ष को अंजाम देने के लिए तैयार हैं, जब तक कि खेत कानूनों को रद्द नहीं कर दिया जाता। इस विरोध को विस्तारित करने और लोकतंत्र को बचाने और संविधान को बनाए रखने के लिए लोगों के सभी मेहनतकश वर्गों की एकता को मजबूत करने का उचित समय है।

vk|kfxd Jfedk d fy, miHkkDrk eY; lpdkd vk/kkj o"k 2001=100

नं. 112/6/2006–एनसीपीआई

jkT;	dsn	uoEcj 2020	fnlEcj 2020
vk/k izns'k	xq.Vwj	121.3	120.8
	uYywj	116.0	116.0
	fo'kk[kkiÝku	129.8	129.9
vle	fc'oukFk pkjbZyh	130.9	127.5
	MeMek frulf[k;k	137.8	136.4
	xqokgkVh	128.8	127.3
	ycd flYpj	121.1	120.2
	uekyhx< xkyk?kkV	119.7	117.9
	flclkxj	121.7	119.8
fcgkj	esZ?kj&tekyiqj	120.8	118.9
	iVuk	121.8	120.3
p.Mhx<	p.Mhx<	123.7	122.3
NÝkhlx<	fHkykbZ	112.3	111.5
	dkjck	121.3	120.4
	jk;iqj	115.0	112.8
fnYyh	fnYyh	116.6	113.1
Xkkvk	xkvk	113.8	112.3
Xkqtjkr	vgenkckn	111.9	113.1
	Hkkouxj	118.1	115.6
	jktdksV	114.0	113.5
	lwjr	116.1	116.5
	oMksnjk	114.7	112.5
gfj;k.kk	Qjhnkckn	115.6	114.9
	x#xke	119.0	117.5
	;euk uxj	121.9	119.7
fgekpy	fgekpy çns'k	115.6	114.4
tEew ,oa d'ehj	Jhuxj	122.5	120.6
>kj[k.M	ckdkjks	122.6	120.9
	/kuckn&>fj;k	120.0	117.2
	te'kniqj	123.7	121.0
	jkex<	132.2	127.9
dukVd	cqyxke	129.4	123.2
	cxy#	119.9	118.3
	fpdey#	115.5	115.2
	nokxjs	111.8	110.7
	gcyh /kkjokM	122.8	121.7
	ejdjk&dkMkxq	117.9	117.7
	eSlqj	109.9	110.3
dqjy	,.kkdqye@vyobZ	113.8	114.6
	bZnqj	124.2	123.3
	fDoyku	122.8	122.3
e/; çns'k	Hkksiky	118.8	118.3
	fNUnokM+k	115.0	115.3
	bUnkSj	117.7	118.1
	tcyiqj	115.8	113.8
		117.3	116.6

jkT;	dsn	uoEcj 2020	fnlEcj 2020
egkjk"V	eEcbZ	114.0	112.9
	ukxiqj	118.2	118.6
	ukfld	116.1	115.9
	iq.k	115.8	115.4
	'kksykiqj	117.0	119.4
	Fkkus	113.4	112.4
esZ?kky;	f'kykWx	126.3	126.5
mMhlk	vkxjs&rkykpsj	128.3	126.7
	dVd	126.6	126.0
	D;ksa>j	124.9	124.6
iq.ìpfj	iq.ìpfj	122.2	121.6
iatkc	ver lj	123.8	122.2
	tkyU/kj	123.9	120.1
	ywf/k;kuk	121.7	122.4
	lqx#j	117.0	116.0
jktLFkku	vyoj	118.9	118.5
	HkhyokM+k	116.3	115.9
	t;iqj	114.2	113.5
rfeyukMq	pUuS	122.6	120.4
	dk;EcVwj	119.1	118.0
	dUuwj	122.2	122.6
	enqjkbZ	118.0	118.6
	lsye	118.9	118.5
	fr#uyosyh	124.5	123.0
rsyaxkuk	fo#/k uxj	121.2	117.7
	gSnjkckn	119.7	119.2
	epfj;y	127.7	127.5
f=iqjk	f=iqjk	120.9	119.0
mÝkj çns'k	vkxjk	122.1	120.0
	xkft;kckn@thch uxj	119.4	117.3
	dkuiqj	121.9	119.7
	y[kuÅ	120.9	120.0
	okjk.klh	124.6	121.5
mÙkjk[kM	m/keflg uxj	124.4	122.2
if'pe cxky	nkftfyax	127.6	127.4
	nxkiqj	115.6	114.3
	gfYn;k	119.9	118.3
	gkoM+k	115.7	114.5
	tyikbxMh	123.1	120.8
	dkydkrk	125.3	121.9
	jkuhxat	129.1	127.6
		129.9	127.6
अखिल भारतीय सूचकांक		**119.9**	**118.8**

सीटू का मुखपत्र

सीटू मजदूर

ग्राहक बनें

- **व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए** – वार्षिक ग्राहक शुल्क – रू0 100/–
- **एजेंसी** – कम से कम पाँच प्रतियों; 25% छूट कमीशन के रूप में;
- **भुगतान** – चेक द्वारा – "सीटू मजदूर" जो कनारा बैंक, डीडीयू मार्ग शाखा, नई दिल्ली–110002 पर देय

  बैंक मनी ट्रांसफर द्वारा – एसबीए/सीन0 0158101019568;
  आइएफसीकोड : सीएनआरबी 0000158;
- **संपर्क:** ई मेल/पत्र की सूचना के साथ
  प्रबंधक, सीटू मजदूर, सीटू केन्द्र, बी टी आर भवन,
  13 ए राऊज एवेन्यू, नई दिल्ली–110002; ईमेल: citujournals@gmail.com
  फोन: (011) 23221306 फैक्स: (011) 23221284

पूरे भारत में रेल रोको

(रिपोर्ट पृ. 22) (फोटोः एआईकेएस)

राज्यों में प्रदर्शन

दिल्ली में *(रिपोर्ट पृ. 19)*

त्रिपुरा में पैरा शिक्षकों पर पुलिस द्वारा किये गये हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन

Posted at LPC DRMS DL- 110006 Postal Regd. No. DL(C)-01/1201/2021-23 RNI No. 34666/79: 6th-7th of every month Licensed to Post without prepayment under License No.U(C)-38/2021-23 (Date of Publication - 05/03/2021)

पूरे भारत में रेल रोको

(रिपोर्ट पृ. 22)

जींद में महिलाओं द्वारा *रेल रोको* (सौजन्यः इंडियन एक्सप्रेस)

तपन सेन द्वारा सेंटर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियन्स के लिए मुद्रित और प्रकाशित तथा प्रोग्रैसिव प्रिंटर्स, ए–21 झिलमिल इण्डस्ट्रियल एरिया, शाहदरा, दिल्ली–95 से मुद्रित तथा बी टी रणदिवे भवन, 13–ए राउज एवेन्यू, नई दिल्ली–110002 से प्रकाशित (फोनः 23221288, 23221306; http://www.citucentre.org, CITU email: citujournals@gmail.com , citubtr@gmail.com) सम्पादक : **के हेमलता**